राज्य स्तरीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

राजस्थान सामान्य ज्ञान

- संपूर्ण राजस्थान का सामान्य ज्ञान
- महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का विषयवार संकलन
- नवीनतम बजट 2024-25

BEST QUALITY BEST SELLER

MRP ₹399

- राजस्थान का इतिहास
- राजस्थान की कला एवं संस्कृति
- राजस्थान की राजव्यवस्था
- राजस्थान भूगोल
- राजस्थान अर्थव्यवस्था

सफलता के पथ पर सबसे तेज उभरता हुआ संस्थान

लक्ष्य क्लासेज™

M. 6376957258, 6376491126

Sector - 4, Main Road, Udaipur (Raj.)

3rd floor, E-112, Kalpatru Shopping Centre, Jodhpur

श्री आनंद अग्रवाल
निदेशक
लक्ष्य क्लासेज, उदयपुर

दो शब्द...

प्रिय विद्यार्थियों.....

आपके समक्ष राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी राजस्थान सामान्य अध्ययन की पुस्तक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष की अनुभूति हो रही है। इस पुस्तक में राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विषयवार सम्पूर्ण पाठ्यसामग्री दी गई है।

यह पुस्तक सम्पूर्ण नवीनतम पाठयक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जिसके तहत राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की राजव्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था एवं नवीनतम बजट-2024-25 से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी दी गई है। इस पुस्तक को विषय विशेषज्ञों ने अपने विशिष्ट अनुभव व कौशल से तैयार किया हैं, इसके साथ ही इस पुस्तक में विषयवार अभ्यास प्रश्नों का भी संकलन किया गया है। यह पुस्तक राजस्थान के प्रतिभागियों की आगामी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखी गई है, जिससे वे अपनी तैयारी के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार कर सकते हैं।

अंततः यह कहा जा सकता है कि यह पुस्तक राजस्थान के सभी प्रतिभागियों के लिए अत्यंत लाभप्रद है।

लक्ष्य परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

आनंद अग्रवाल
निदेशक, लक्ष्य क्लासेज

विषय - वस्तु

01 राजस्थान का इतिहास

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	प्राचीन सभ्यताएँ	1 - 3
2.	राजवंश	4 - 36
3.	प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था	37 - 41
4.	1857 ई. की क्रांति	42 - 44
5.	जनजातीय आन्दोलन	45
6.	किसान आन्दोलन	46 - 49
7.	प्रजामंडल आन्दोलन	50 - 54
8.	राजस्थान का एकीकरण	55 - 56
9.	प्रमुख व्यक्तित्व	57 - 61
10.	अभ्यास प्रश्न	62 - 63

02 राजस्थान की कला एवं संस्कृति

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	दुर्ग	65 - 70
2.	महल	71 - 74
3.	हवेलियाँ	75 - 76
4.	बावड़ियाँ	77 - 78
5.	छतरियाँ	79 - 80
6.	मन्दिर	81 - 83
7.	मकबरे, मस्जिद और दरगाह	84 - 85
8.	चित्रकला	86 - 89
9.	लोक कला	90 - 91
10.	हस्तकला	92 - 93
11.	लोक देवता	94 - 96
12.	लोक देवियाँ	97 - 99
13.	संत-सम्प्रदाय	100 - 105

14.	लोक नृत्य	106 - 109
15.	लोक नाट्य	110 - 111
16.	लोक गीत एवं संगीत	112 - 114
17.	भाषा एवं बोलियाँ	115 - 116
18.	राजस्थानी साहित्य	117 - 120
19.	मेले	121 - 122
20.	त्योहार	123 - 124
21.	जनजातियाँ	125 - 127
22.	लोक वाद्य यंत्र	128
23.	वेशभूषा एवं आभूषण	128 - 135
24.	रीति-रिवाज	136 - 139
25.	प्रमुख प्रथाएँ	140 - 141
26.	राजस्थानी खान-पान	142
27.	राजस्थानी शब्दावली	143 - 144
28.	अभ्यास प्रश्न	145 - 147

03 राजस्थान की राजव्यवस्था

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	राज्यपाल	149 - 153
2.	मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	154 - 157
3.	राज्य विधानसभा	158 - 164
4.	उच्च न्यायालय	165 - 167
5.	राज्य लोक सेवा आयोग	168 - 169
6.	राज्य मानवाधिकार आयोग	170 - 171
7.	राज्य महिला आयोग	172
8.	लोकायुक्त	173 - 174
9.	राज्य निर्वाचन आयोग	175 - 176
10.	राज्य सूचना आयोग	176 - 177
11.	जिला प्रशासन	178 - 181
12.	स्थानीय स्वशासन	182 - 190
13.	अभ्यास प्रश्न	191 - 192

04 राजस्थान का भूगोल

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	स्थिति एवं विस्तार	194 - 197
2.	भौतिक प्रदेश	198 - 203
3.	जलवायु एवं मानसून तंत्र	204 - 207
4.	अपवाह तंत्र एवं भू-जल प्रबंधन	208 - 214
5.	सिंचाई परियोजना एवं जल संरक्षण तकनीकें	215 - 220
6.	वन एवं प्राकृतिक वनस्पति	221
7.	वन्यजीव संरक्षण एवं जैव विविधता	222 - 225
8.	मृदाएं	226 - 227
9.	कृषि	228 - 229
10.	जनसंख्या	230 - 232
11.	धात्विक एवं अधात्विक खनिज	233 - 240
12.	ऊर्जा संसाधन	241 - 245
13.	पर्यटन स्थल	246 - 247
14.	यातायात के साधन	248 - 251
15.	अभ्यास प्रश्न	252 - 253

05 राजस्थान की अर्थव्यवस्था

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	राजस्थान उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र	255 - 262
2.	गरीबी एवं बेरोजगारी	263 - 268
3.	राजस्थान की प्रमुख विकास परियोजनाएँ	269 - 276
4.	राजस्थान बजट - 2024-25	277 - 281
5.	अभ्यास प्रश्न	282 - 283

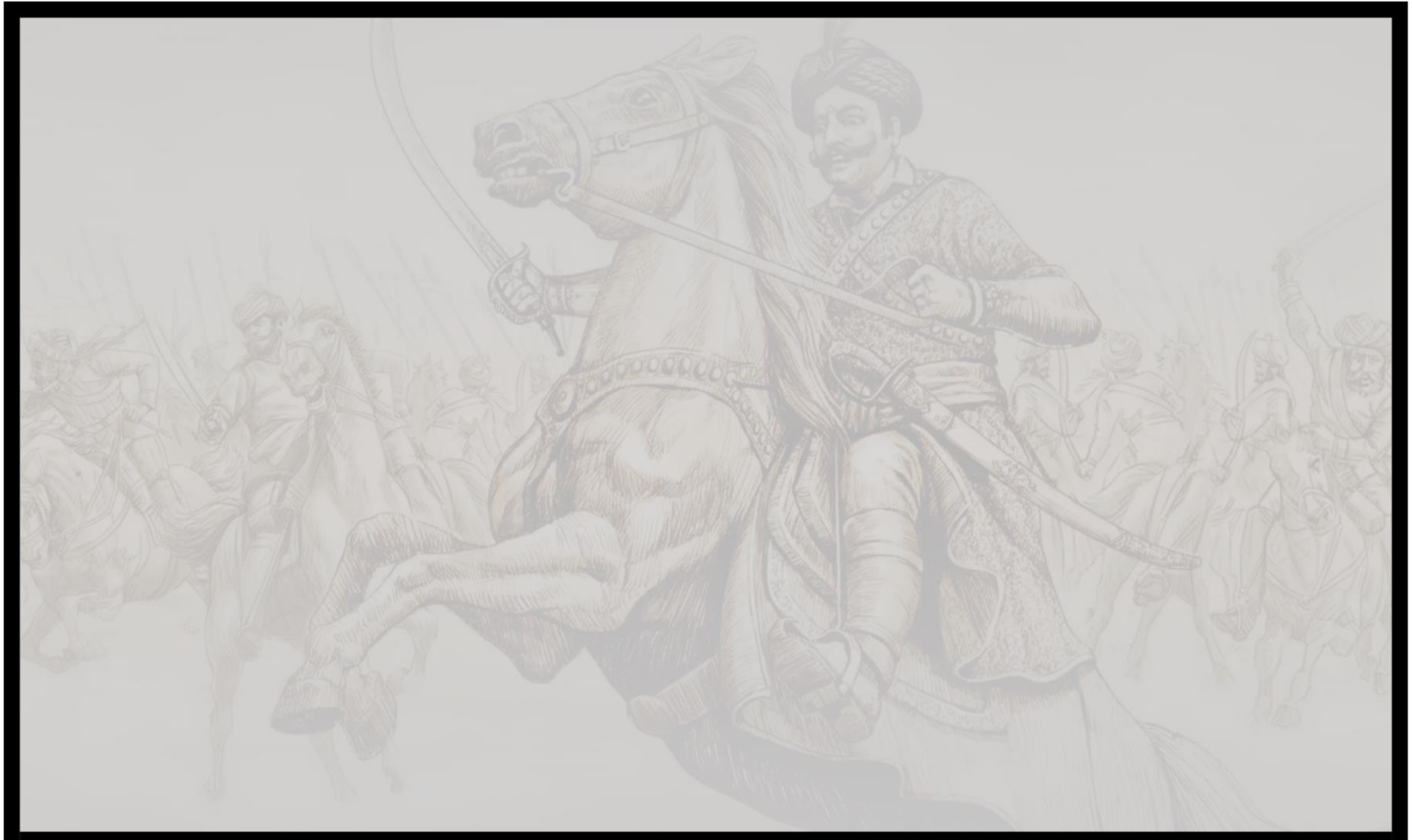

राजस्थान का इतिहास

1 प्राचीन सभ्यताएँ

कालीबंगा सभ्यता

परिचय

- कालीबंगा राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्त्वपूर्ण अवशेष पाए गए हैं।
- कालीबंगा को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है।
- कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ 'काले रंग की चूड़ियाँ/काली चूड़ी' है। यहाँ मिली तांबे की काली चूड़ियों के कारण ही इस स्थान को 'कालीबंगा' कहा गया।

खोज एवं काल

- कालीबंगा प्राचीन सरस्वती नदी (वर्तमान में घग्घर) के बाएँ तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित नगरीय सभ्यता थी।
- सर्वप्रथम इसकी खोज वर्ष 1952 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के निदेशक 'अमलानंद घोष' द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में की गई थी।

> **नोट :-** सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के दसवें मण्डल में मिलता है। सरस्वती नदी का वर्तमान स्वरूप घग्घर नदी है। घग्घर नदी को दृषद्वती नदी, सोतर नदी, मृत नदी, लेटी हुई नदी, राजस्थान का शोक भी कहा जाता है।

- कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय 2350 ई.पू. से 1750 ई.पू. माना जाता है।

उत्खनन कार्य

- कालीबंगा में वर्ष 1961-1969 तक बी. बी. लाल तथा बी.के. थापर व जे.वी. जोशी के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया।
- कालीबंगन में उत्खनन पाँच स्तरों में किया गया था, जिसे कालीबंगन I से V के रूप में पहचाना गया।
- कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन तथा उत्तर-हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- कालीबंगा में वर्तमान समय में तीन टीले प्राप्त हुए हैं-
  KLB1 – पश्चिम में छोटा
  KLB2 – मध्य में बड़ा
  KLB3 – पूर्व में सबसे छोटा
- कालीबंगा के टीलों पर किए गए उत्खनन कार्य में पश्चिम में स्थित पहला टीला छोटा एवं अपेक्षाकृत ऊँचा है तथा पूर्व में स्थित दूसरा टीला अपेक्षाकृत बड़ा एवं नीचा है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- डॉ. दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है।
  ध्यातव्य है कि सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा तथा दूसरी मोहनजोदड़ो को माना गया है।
- कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है।
  देश के दो बड़े पुरातात्विक स्थलों में राखीगढ़ी (हरियाणा) एवं धौलावीरा (गुजरात) है।
- कालीबंगा को 'दीन-हीन बस्ती' भी कहा जाता है।
- कालीबंगा में मातृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था विद्यमान थी।
- पाकिस्तान के कोटदीजी नामक स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफी मिलते-जुलते हैं।
- संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को 'बहुधान्यदायक क्षेत्र' कहा जाता था।
- कालीबंगा सैंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से मातृदेवी की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है।
- वर्ष 1961 में कालीबंगा अवशेष पर भारत सरकार द्वारा 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पुरा अवशेषों के संरक्षण हेतु वर्ष 1985-86 में एक संग्रहालय की स्थापना की गई।

पुरातात्विक खोज एवं सामग्रियाँ

- विश्व में सर्वप्रथम भूकम्प के साक्ष्य कालीबंगा से ही मिले हैं।
- विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं।
- कालीबंगा से उत्खनन में दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण है।
- कालीबंगा में समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य और ग्रिड पैटर्न की गर्तधारियों के निशान मिले हैं।
- यहाँ से एक ही समय में दो फसलें उगाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिसमें गेहूँ तथा जौ एक साथ बोये जाते थे।
- कालीबंगा से कपालछेदन क्रिया का प्रमाण मिलता है।
- कालीबंगा से कलश शवदान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
- ऐसा माना जाता है कि यहाँ अंत्येष्टि संस्कार की तीन विधियाँ प्रचलित थीं, जिसमें पूर्व समाधीकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं।
- कालीबंगा क्षेत्र से मिट्टी से बना कुत्ता, भेड़िया, चूहा और हाथी की प्रतिमाएँ मिली हैं।
- कालीबंगा के नगरों की सड़कें समकोण पर काटती थी।
- यहाँ के लोग कच्ची ईंटों से बने मकानों में रहते थे तथा मकानों की नालियाँ, शौचालय तथा कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है।
- कालीबंगा में एक दुर्ग, बेलनाकार मुहरें, ताँबे का बैल, जुते हुए खेत, सड़कें तथा मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- कालीबंगा से सात अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं।
- कालीबंगा में मकानों से गन्दे पानी को निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया जाता था।
- यहाँ से बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें छह छेद हैं जिसमें जल कपाली या मस्तिष्क शोध की बीमारी का पता चलता है।
- कालीबंगा से मेसोपोटामिया की मिट्टी से निर्मित मुहर प्राप्त हुई है।
- कालीबंगा सभ्यता की लिपि सैन्धवकालीन लिपि (**ब्रुस्ट्रोफेदन लिपि**) के समान थी, जो दाएँ से बाएँ की ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है।
- राजस्थान में कालीबंगा से विशाल सांडों की जुड़वाँ पैरों वाली मिट्टी की मूर्ति मिली है।

आहड़ सभ्यता

परिचय

- आहड़ उदयपुर नगर/मेवाड़ क्षेत्र के पूर्व में बहने वाली आयड़/बेड़च नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जिसका विकास बनास नदी घाटी में माना जाता है।
- आहड़ ताम्रयुगीन सभ्यता है, जो लगभग 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता मानी जाती है।
- दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघट दुर्ग के नाम से जाना जाता था।
  इसे प्राचीनकाल में ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था। वर्तमान में इसका नाम धूलकोट है।
- डॉ. सांकलिया ने इसे 'आहड़ या बनास संस्कृति' कहा है।
- आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता थी।

खोज एवं काल

- आहड़ सभ्यता की खोज वर्ष 1953 में पं. अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में की गई थी।
- डॉ. गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ई. पू. से 1200 ई.पू. तक माना है।
- कार्बन-14 वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार आहड़ सभ्यता का काल 2000 ई. पू. से 1200 ई. पू. के मध्य माना जाता है।

उत्खनन कार्य

- आहड़ सभ्यता पर सर्वप्रथम लघु स्तर पर उत्खनन कार्य पं. अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया।
- वर्ष 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व यहाँ पर व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया गया। आर.सी. अग्रवाल ने आहड़ के पास दूरमतून एवं उमरा नामक स्थानों से ताम्र शोधन के साक्ष्य प्राप्त किए हैं।
- वर्ष 1961-62 में यहाँ वी. एन. मिश्रा एवं एच. डी. सांकलिया द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया।
- आहड़ के उत्खनन अभियान के समय राजस्थान सरकार की ओर से विजय कुमार एवं पी. सी. चक्रवर्ती भी उपस्थित रहे।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- आहड़ के उत्खनित स्थल को महासत्तियों का टीला कहा जाता है।
- गिलूण्ड (राजसमन्द) से आहड़ के समान धर्म संस्कृति मिली है।
- आहड़वासी ताम्रधातु कर्मी थे।
- आहड़ के लोग मृतकों को कपड़ों एवं आभूषण के साथ गाड़ते थे।
- आहड़वासी लाल एवं काले रंग के मृद्पात्रों का उपयोग करते थे।
- आहड़वासी धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण करते थे।
- आहड़वासी कृषि (चावल की खेती) एवं पशुपालन (कुत्ता, हाथी आदि) से परिचित थे।
- यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था।
- आहड़ से प्राप्त एक ही मकान में 4 से 6 चूल्हों का प्राप्त होना जिस पर एक मानव हथेली की छाप है एवं संयुक्त परिवार व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं।
- आहड़ सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पकाने की उल्टी तिपाई विधि से परिचित थे।

पुरातात्विक सामग्रियाँ

- आहड़ से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों में प्रमुख-

1. नारी की खण्डित मृण्मूर्ति
2. छपाई के ठप्पें
3. अनाज पीसने की चक्की
4. चित्रित बर्तन एवं ताँबे के उपकरण
5. दो ताँबे की कुल्हाड़ियाँ
6. ताँबे की छह मुद्राएँ तथा तीन मुहरें
7. एक मुद्रा जिसके एक ओर त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्रण है तथा यूनानी भाषा में लेख भी अंकित है।
8. अनाज रखने के मृद्भांड, जिन्हें स्थानीय भाषा में 'गोरे' या 'कोठे' कहा जाता है।
9. मिट्टी की बनी टेराकोटा वृषभ आकृतियाँ

बालाथल सभ्यता

परिचय

- उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल गाँव के पास बनास या बेड़च नदी के निकट एक टीले के उत्खनन से ताम्र-पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- यहाँ के उत्खनन से प्राप्त मृद्भाण्डों, ताँबे के औजारों और मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे इस सभ्यता से इसके संपर्क के पुख्ता प्रमाण प्राप्त होते हैं।
- बालाथल में 1800 ईसा पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक सभ्यता तथा 600 ईसा पूर्व के लगभग लौहयुगीन सभ्यता के आबाद होने का पुरातत्वशास्त्रियों का अनुमान है।

खोज एवं उत्खनन कार्य

- इस सभ्यता की खोज वर्ष 1962-63 में डॉ. वी. एन. मिश्र द्वारा की गई।
- वर्ष 1993 में डॉ. वी. एस. शिंदे, आर. के. मोहन्ते, डॉ. देव कोठारी एवं डॉ. ललित पाण्डे ने इस सभ्यता का उत्खनन किया था।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- बालाथल में उत्खनन से एक 11 कमरों के विशाल भवन के अवशेष मिले हैं।
- यहाँ से लोहा गलाने की पाँच भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- यहाँ के लोग बर्तन बनाने तथा कपड़ा बुनने के बारे में जानकारी रखते थे।
- यहाँ से पाँचवीं सदी ईसा पूर्व का हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ है।
- पत्थर के मनके, पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ, पशु आकृतियाँ, ताँबे के औजार
- बालाथल के उत्खनन में मिट्टी से बनी सांड की आकृतियाँ मिली हैं।
- बालाथल निवासी मांसाहारी भी थे।
- यहाँ से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है जिसको भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है।
- यहाँ से योगी मुद्रा में शवाधान का प्रमाण प्राप्त हुआ।
- बालाथल में अधिकांश आभूषण व उपकरण तांबे के बने प्राप्त हुए हैं।
- यहाँ के लोग कृषि, शिकार तथा पशुपालन आदि से परिचित थे।
- बालाथल से प्राप्त बैल व कुत्ते की मृण्मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय है।

गणेश्वर सभ्यता

परिचय

- गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना क्षेत्र में रैवासा गाँव की खंडेला पहाड़ियों में स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्त्वपूर्ण स्थल है।
- गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित प्राक् हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है।
- गणेश्वर को 'पुरातत्व का पुष्कर' भी कहा जाता है।

खोज-उत्खनन कार्य एवं काल

- रेडियोकार्बन विधि के आधार पर इस स्थल की तिथि 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई।
- गणेश्वर सभ्यता की खोज एवं सर्वप्रथम उत्खनन कार्य वर्ष 1977 में रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया।
- इस सभ्यता स्थल पर व्यापक उत्खनन कार्य वर्ष 1978-79 में विजय कुमार द्वारा करवाया गया।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- गणेश्वर को भारत में 'ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी' तथा 'ताम्र संचयी संस्कृति' भी कहा जाता है।
- भारत में पहली बार किसी स्थान से इतनी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं।
- गणेश्वर सभ्यता के लोग संभवत: ताँबा खेतड़ी व अलवर की खो-दरीबा खान से प्राप्त करते थे।
- यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99 प्रतिशत तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है।

पुरातात्विक अवशेष

- गणेश्वर के उत्खनन से लगभग 2000 ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें तीर, भाले, सूइयाँ, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे आदि शामिल हैं।
- गणेश्वर में बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु वृहदाकार पत्थर के बाँध बनाने के प्रमाण।
- ताँबे का बाण एवं मछली पकड़ने का कांटा।
- काले व नीले रंग के कपिषवर्णी मृद्पात्र।
- गणेश्वर से मिट्टी के छल्लेदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं।
- मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, जो केवल गणेश्वर में ही प्राप्त हुए हैं।
- दोहरी पेचदार शिरेवाली ताम्रपिन।

बैराठ सभ्यता

परिचय

- बैराठ जयपुर जिले में शाहपुरा उपखण्ड में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित लौहयुगीन स्थल है।
- प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराठ की बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्यकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- बैराठ का प्राचीन नाम 'विराटनगर' था। महाजनपद काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी था।

खोज एवं उत्खनन कार्य

- बैराठ सभ्यता की खोज वर्ष 1922 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में की थी।
- यहाँ पर दो स्तरों में प्रथम वर्ष 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा तथा वर्ष 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा उत्खनन कार्य किया गया।
- बैराठ सभ्यता के लोगों का जीवन पूर्णत: ग्रामीण संस्कृति का था।

बैराठ सभ्यता की मुख्य विशेषताएँ

- यहाँ से मौर्यकालीन तथा इसके बाद के समय के अवशेष मिले हैं।
- उत्तर भारतीय चमकीले मृद्भांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान में सबसे महत्त्वपूर्ण प्राचीन स्थल बैराठ है।
- बैराठ सभ्यता के लोग लौह धातु से परिचित थे। यहाँ उत्खनन से लोहे के तीर तथा भाले प्राप्त हुए हैं।
- यह सभ्यता स्थल प्राचीन बौद्ध अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है।
- 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ की यात्रा की थी। उसने यहाँ 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया।
- बैराठ से 'शंख लिपि' के प्रमाण प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं।
- यहाँ से मुगलकाल में टकसाल होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ मुगल काल में ढाले गये सिक्कों पर 'बैराठ अंकित' मिलता है।
- यहाँ भवन निर्माण के लिए मिट्टी की बनाई ईंटों का प्रयोग अधिक किया जाता था।

पुरातात्विक अवशेष

- यहाँ से 36 मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं जिनमें 8 पंचमार्क चाँदी की तथा 28 इण्डो-ग्रीक तथा यूनानी शासकों की हैं, जिनमें 16 मुद्राएँ यूनानी शासक मिनेण्डर की है।
- वर्ष 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोक कालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान सम्प्रदाय से संबंधित है।
- बैराठ में पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना स्थित था।
- बैराठ के उत्खनन से मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियाँ, लोटे, मटके, खप्पर, कुंडियाँ, घड़े आदि मिले हैं।
- बैराठ की बीजक पहाड़ी से 1837 ई. में कैप्टन बर्ट को बैराठ की बीजक पहाड़ी से मौर्य सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ, जिस पर मौर्य कालीन ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण है।

भाब्रू शिलालेख

- वर्तमान में भाब्रू शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय (एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल) में सुरक्षित है।
- भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक को 'मगध का राजा' नाम से संबोधित किया गया है।
- भाब्रू शिलालेख के नीचे बुद्ध, धम्म एवं संघ लिखा हुआ है।

बागौर सभ्यता

- भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है।
- उत्खननकर्ता - वीरेन्द्र नाथ मिश्र
- यहाँ से कृषि तथा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ मिले हैं।
- लघु पाषाणकालीन औजारों के भडांर प्राप्त हुए हैं।
- यहाँ से छेद वाली सुई प्राप्त हुई है।

♦♦♦♦

राजस्थान की कला एवं संस्कृति

1 दुर्ग

नीति के अनुसार दुर्ग 9 श्रेणियों के होते हैं-

- **गिरी दुर्ग** – पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग।
- **एरण दुर्ग –** ऐसा दुर्ग जहाँ तक पहुँचने का मार्ग कठिन व दुर्गम हो
- **वन दुर्ग –** घने जंगलों में निर्मित दुर्ग।
- **धान्वन दुर्ग –** समतल सतह पर निर्मित दुर्ग।
- **जल दुर्ग –** नदियों के संगम स्थल पर निर्मित दुर्ग।
- **पारिख दुर्ग –** चारों तरफ गहरी खाई युक्त दुर्ग।
- **पारिध दुर्ग –** ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो
- **सैन्य दुर्ग –** ऐसा दुर्ग जिसमे सैनिक निवास करते हो।
- **सहाय दुर्ग –** जहाँ सैनिक व आमजन दोनों निवास करते हो।
- राजस्थान में महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के पश्चात् सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण हुआ है।
- राजस्थान में दुर्गों के स्थापना का विकास का प्रथम आधार कालीबंगा की खुदाई में मिलता है।

कौटिल्य के अनुसार दुर्ग की 4 श्रेणियाँ है-

- 1. औदुक दुर्ग
  2. पर्वत दुर्ग
  3. धान्वन दुर्ग
  4. वन दुर्ग
- राज्य को मानव शरीर का अंग मानते हुए शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को शरीर के प्रमुख अंग 'हाथ' की संज्ञा दी है।
- शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है।
  उदाहरण :- जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग आदि।
- चित्तौड़ दुर्ग धान्वन श्रेणी के दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणी का दुर्ग है।
- भटनेर दुर्ग (हनुमानगढ़) तथा भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी से बने दुर्ग हैं।

राजस्थान के 6 दुर्ग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल-

- 1. आमेर दुर्ग 2. गागरोण दुर्ग
  3. कुम्भलगढ़ दुर्ग 4. जैसलमेर दुर्ग
  5. रणथम्भौर दुर्ग 6. चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
- ये दुर्ग जून, 2013 में नोमपेन्ह (कम्बोडिया) में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को साइट की सूची में शामिल किए गये।

राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग

- राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग – भटनेर (हनुमानगढ)
- मिट्टी से निर्मित दुर्ग –
  1. लोहागढ़ दुर्ग 2.भटनेर दुर्ग
- राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग –
  1. मोहनगढ़, (जैसलमेर) 2. लोहागढ़ (भरतपुर)
- सर्वाधिक आक्रमण वाला दुर्ग – तारागढ़ (अजमेर)
- सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग – भटनेर दुर्ग
- सर्वाधिक गहराई में स्थित दुर्ग – लोहागढ़
- सर्वाधिक बुर्जों वाला किला – सोनारगढ़

राजस्थान के प्रमुख दुर्ग

सोनारगढ़

- जैसलमेर का किला।
- जैसलमेर के सोनारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग की नींव जैसलभाटी ने 1155 ई. में रखी।
- सोनारगढ़ किले का प्रवेश द्वार अक्षयपोल कहलाता है।
- सोनारगढ़ किले में ही गढ़ीसर/घडसीसर झील स्थित है।
- यह दुर्ग सर्वाधिक बुर्जों वाला (99 बुर्जे) किला है।
- इस दुर्ग का प्रमुख मंदिर लक्ष्मीनाथ जी का मन्दिर है जिसमें जैसलमेर शासकों के आराध्य देव की मूर्ति मेड़ता से लाई गई।
- इस दुर्ग का प्राचीन मंदिर आदिनाथ जी (जैन मंदिर) का है।
- अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि **घोड़ा कीजे काठ का पग किजे पाषाण शरीर राखे बखतरबंद ते पहुँचे जैसाण।**
- जैसलमेर दुर्ग ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है।
- **प्रथम साका -** जैसलमेर का प्रथम साका भाटी शासक मूलराज द्वितीय व अलाउदीन खिलजी के मध्य 1312 ई. में हुआ।
- **दूसरा साका -** जैसलमेर का दूसरा साका रावल दूदा व दिल्ली के फिरोजशाह तुगलक के मध्य 1370-71 ई. में हुआ
- **तीसरा अर्द्धसाका** - 1550 ई. में जैसलमेर शासक राव लुणकरण व कंधार शासक अमीर अली के मध्य हुआ। इसमें वीरों ने केसरिया तो किया लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्द्धसाका कहा।
  Note: राजस्थान इतिहास का यह एकमात्र अर्द्धसाका हुआ।
- राजस्थान के इस दुर्ग को यूनेस्को ने जून, 2013 में विश्व विरासत में शामिल किया

भटनेर दुर्ग (हनुमानगढ़)

- इस दुर्ग का निर्माण तीसरी सदी के अन्त में भूपत भाटी द्वारा सरस्वती या घग्घर नदी के तट पर किया।
- इस दुर्ग का अन्य नाम 'उत्तरी सीमा का प्रहरी' है।
- वास्तुकार - कैकेया
- भटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है।
- भटनेर दुर्ग पर सबसे अधिक विदेशी आक्रमण हुए।
- 1003 ई. में महमूद गजनवी का प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ तथा अंतिम विदेशी आक्रमण 1532-34 ई. का कामरान का हुआ।
- यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। यह जौहर 1399 ई. में हुआ। उस समय भटनेर का शासक दूलचंद था व आक्रमण तैमूर लंग का हुआ।

- इस जौहर का प्रमाण तैमुर लंग की आत्मकथा 'तुजुक ए तैमुरी' में मिलता है।
- 1805 ई. में बीकानेर शासक सुरतसिंह ने भटनेर शासक जावता सिंह भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित कर इसका नामकरण हनुमानगढ़ किया।

जूनागढ़ (बीकानेर)

- निर्माण - 1589-94 ई. में रायसिंह के द्वारा करवाया गया।
- यह किला राती घाटी में बीका की टोकरी के ऊपर निर्मित दुर्ग है।
- जूनागढ़ का दुर्ग धान्वन दुर्ग की श्रेणी में आता है।
- इस दुर्ग को 'जमीन का जेवर' कहा जाता है।
- यह दुर्ग सूरसागर झील के किनारे स्थित है।
- जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर गजारूढ़ जयमल व फत्ता की मूर्तियाँ स्थित है, जो मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह के सेनापति थे।
- जूनागढ़ के दुर्ग में नागणेची माता व लक्ष्मीनारायण जी का मंदिर है। लक्ष्मीनाराय जी का मंदिर जूनागढ़ का आकर्षक मंदिर है, इसका निर्माण रतनसिंह ने करवाया।
- इस दुर्ग में तैतीस करोड़ देवी-देवताओं का मंदिर है, यह अनूपसिंह के शासन काल में निर्मित है तथा इसमें मूर्तियाँ धातु से निर्मित है।

मेहरानगढ़ दुर्ग (जोधपुर)

- निर्माण -1459 ई. में राव जोधा द्वारा करवाया गया।
- दुर्ग की नींव करणी माता (रिद्धि बाई) ने रखी।
- इस दुर्ग की श्रेणी – गिरि दुर्ग।
- **अवस्थिति -** पंचेटिया पहाड़ी/चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है।
- मेहरानगढ़ दुर्ग को कागमुखी गढ़, मयूरध्वज गढ़, जोधा की ढाणी, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि, मारवाड़ का सिरमोर, बिहंगढ़ आदि नामों से जाना जाता है।
- मेहरानगढ़ की मुख्य तोपें - किलकिला, गजनी, शम्भूबाण, गजक, गुब्बार जनजमा, कड़क, बिजली आदि हैं।
- मेहरानगढ़ दुर्ग में पेयजल स्रोतों में रानीसर तथा पदमसर तालाब है।
- दुर्ग के भीतर फ़तेह महल, फूल महल, शृंगार चंवरी महल, जसंवत थड़ा महल स्थित हैं। जिनमें फूल महल (अभयसिंह द्वारा निर्मित) मेहरानगढ़ का सबसे आकर्षक महल है।
- मेहरानगढ़ दुर्ग में राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी चामुण्डा माता का मंदिर है, जिसका निर्माण राव जोधा द्वारा किया गया।
- इस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड क्लिपिंग ने कहा कि "इसका निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया।"
- जैकलीन कैनेडी ने इस दुर्ग को 'दुनिया का आठवाँ अजुबा' कहा।

चितौड़गढ़ दुर्ग

- चितौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता चित्रांगद मौर्य (8वीं सदी में निर्मित) थे।
- उपनाम – दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेशद्वार, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, त्याग व बलिदान का दुर्ग।
- चितौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बडा लिविंग फोर्ट है।
- राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती है।
- आकृति - व्हेल मछली के समान
- प्रथम विदेशी आक्रमण - मामू अफगान का।
- चितौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि "गढ़ तो चितौड़गढ़ बाकी सब गढैया"
- **चितौड़गढ़ दुर्ग तीन साके हुए –**

प्रथम साका

- राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा साका 26 अगस्त, 1303 को रावल रतनसिंह व अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ।
- इस साके में रानी पद्मिनी ने जौहर किया।
- चितौड़गढ़ में प्रतिवर्ष चैत्र मास में जौहर मेला लगता है।

दूसरा साका

- दूसरा साका 1534 ई. में गुजरात के शासक बहादुरशाह व रावल बाघसिंह के बीच हुआ।
- इस साके में जौहर रानी कर्मावती ने किया।

तीसरा साका

- तीसरा साका 1567-68 ई. में मुगल बादशाह अकबर व फतेहसिंह सिसोदिया के बीच हुआ। इस साके में जौहर फूल कँवर ने किया।
- चितौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, कालिका माता का मंदिर, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर आदि है।
- चितौड़गढ़ में कीर्तिस्तम्भ/जैन प्रशस्ति है, जिसका निर्माण जैन व्यापारी जीजाशाह द्वारा करवाया गया है।
- चितौड़गढ़ में विजयस्तम्भ है, जिसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा 1440-48 ई. के मध्य करवाया गया।

कुम्भलगढ़ (राजसमन्द)

- उपनाम – मेवाड़-मारवाड सीमा का प्रहरी, मेरुदंड, मेवाड़ राजाओं की शरणस्थली, मेवाड़ की तीसरी आँख, एस्ट्रूकन दुर्ग (कर्नल टॉड) आदि।
- मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी नामक स्थान पर निर्मित (राजसमंद) जिले में अरावली पर्वतमाला की 3568 फीट ऊँची चोटी पर स्थित दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा (1443-1458 ई.) ने वास्तुकार मण्डन की देखरेख में करवाया।
- कुम्भलगढ़ दुर्ग में कुम्भ श्याम मंदिर है, जिसका निर्माण महाराणा कुम्भा ने करवाया।
- अबुल फजल ने कहा – "यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर है, इसके नीचे से उपर देखने पर सिर को पगड़ी गिर जाती हैं।"
- कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर लम्बी व 8 किलोमीटर चौड़ी दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं।

जालोर दुर्ग (सुवर्णगिरि दुर्ग)

- उपनाम – जाबालिपुर, जालनगर, सोनगढ़, जलालाबाद, सुवर्णगिरि।
- जालोर दुर्ग का निर्माण डॉ. दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने (730-756 ई.) करवाया।

- जालोर दुर्ग में झालर बावड़ी, सोहनबावड़ी व पापड़ बावड़ी स्थित है।
- जालोर दुर्ग में जोगमाया माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर, अवसुधन मंदिर स्थित है।
- जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा कि "इस दुर्ग का दरवाजा कोई आक्रमणकारी अब तक नहीं खोल पाया।"
- इस दुर्ग के सामने नटनी की छतरी स्थित है।
- दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार 'सूरजपोल' है, दूसरा ध्रुवपोल, तीसरा चाँदपोल व चौथा सिरपोल है।
- जालोर दुर्ग में मानसिंह महल, रानी महल, नाथावत महल स्थित है।

रणथम्भौर दुर्ग

- उपनाम – चितौड़गढ़ का छोटा भाई, दुर्गाधिराज, हम्मीर की आन-बान का प्रतीक आदि।
- रणथम्भौर का दुर्ग की गिरि, एरण, वन तीनों श्रेणीयों का है।
- इस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है।
- ऐसी मान्यता है कि इस दुर्ग का निर्माण आठवीं शताब्दी में चौहान शासकों ने करवाया था।
- रणथम्भौर का प्राचीन नाम रन्तःपुर था, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'रण की घाटी'।
- राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर इस दुर्ग में ही स्थित है, जिसे रणत भंवर/त्रिनेत्र गणेश मंदिर के नाम से जानते हैं।
- रणथम्भौर दुर्ग में 32 खम्भों की छतरी स्थित है, जिसका निर्माण हम्मीरदेव चौहान के पिता जयसिन्हा/जैत्रसिंह ने अपने शासनकाल में करवाया।
- इस दुर्ग पर 11 जुलाई, 1301 को अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। हम्मीर विश्वासघात के परिणामस्वरूप लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ तथा उनकी पत्नी रंगादेवी ने जौहर किया, यह राजस्थान का एकमात्र जल जौहर था।
- रणथम्भौर दुर्ग में सुपारी महल, जौरा भौरा महल, हम्मीर महल, जोगी महल, हम्मीर कचहरी स्थित है।
- अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि – "यह दुर्ग तो बख्तरबंद है बाकि दुर्ग नंगे है।"
- जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि में ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नही समझता।

आमेर दुर्ग

- उपनाम – हाथियों का किला, अम्बेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग, अम्बेपुर दुर्ग
- आमेर दुर्ग गिरि श्रेणी का है, जो काली खोह पहाड़ी पर स्थित है।
- आमेर दुर्ग में मिर्जा जयसिंह द्वारा दीवान-ए-खास का निर्माण करवाया गया, जिसमें राजा अपने विशिष्ट सामंतों व मुख्य व्यक्तियों से मिलता व दीवान-ए-आम में राजा के दरबार का आयोजन होता था।
- आमेर दुर्ग के किनारे मावटा झील स्थित है।
- राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मीणा बाजार स्थित है।
- आमेर दुर्ग राजपूत व मुग़ल शैली में निर्मित है।
- विशप हैबर ने कहा कि "मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा एवं अलब्रह्म के बारे में जो कुछ सुना उनसे कई ज्यादा बेहतर महल आमेर के महल है।"
- मुख्य महल – सुख महल, सुहाग महल, यश महल
- 1707 ई. में मुगल बादशाह बहादुरशाह ने आमेर का किला हस्तगत कर इसका नाम मोमिनाबाद रखा।

जयगढ़ (जयपुर)

- उपनाम – चिल का टीला, शाही निवास, तोपों व सुरंगों का किला
- निर्माता - सवाई जयसिंह द्वितीय
- जयगढ़ दुर्ग में जयबाण/रणबंका तोप जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसका निर्माण 1740 ई. में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया।
- आमेर दुर्ग व जयगढ़ दुर्ग जयसुंरग से आपस में जुड़े हुए हैं।
- जयगढ़ दुर्ग में आराम व सूर्य मंदिर स्थित है।
- दुर्ग के महल – सुभट निवास महल, खिलवत महल, दिया बुर्ज 7 मंजिला महल (सबसे बड़ा बुर्ज) ।
- इस दुर्ग में विजयगढ़ी महल है, जिसे लघु दुर्ग कहते हैं।
- जयगढ़ दुर्ग में चार बाग शैली का उद्यान स्थित है।

नाहरगढ़ दुर्ग (जयपुर)

- उपनाम – जयपुर मुखौटा, मीठड़ी दुर्ग, सुदर्शनगढ़, जनाना क्वार्टर आदि।
- निर्माण – 1734 ई. में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा।
- नाहरगढ़ दुर्ग गिरि श्रेणी का है, जो मीठड़ी पहाड़ी पर स्थित है।
- नाहरगढ़ दुर्ग में माधवेन्द्र भवन है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया।
- नाहरगढ़ दुर्ग में नाहर सिंह भोमिया की छतरी स्थित है।
- नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान नौ महल है, जो विक्टोरिया शैली में निर्मित है, जिनका निर्माण माधोसिंह ने करवाया। (सुख महल, खुश महल, बसन्त महल, ललित महल, जवाहर महल, आनंद महल, प्रकाश महल, चांद महल, लक्ष्मी महल)
- नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण मराठा आक्रांताओ से बचने हेतु किया गया।
- नाहरगढ़ दुर्ग में भगवान भी कृष्ण का सुदर्शन चक्र लिए मंदिर स्थित है।

तारागढ़ (अजमेर)

- उपनाम – राजपुताना की कुंजी / अरावली का अरमान / राजस्थान का हृदय/ गढ़ बीठली आदि।
- इस दुर्ग का प्रारम्भिक नाम अजयमेरु दुर्ग था।
- अजमेर जिले के इस दुर्ग का निर्माण सातवीं शताब्दी में चौहान शासक अजयपाल ने तारागढ़ पर्वत की बीठली पहाड़ी पर करवाया।
- इस का प्रथम बार जीर्णोद्धार उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाकर अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा।
- राजस्थान का प्रथम तरणताल इस दुर्ग में बना।

मैग्जीन दुर्ग (अकबर का किला) अजमेर
- अकबर ने 1570 ई. में अजमेर नगर के मध्य अकबर के किला का निर्माण करवाया, जिसे मैग्जीन दुर्ग भी कहते हैं।
- मैग्जीन दुर्ग के प्रवेश द्वार को जहाँगीरी पोल के नाम से जानते हैं।
- यह दुर्ग धान्वन श्रेणी का है।
- इस दुर्ग की नींव संत दादू दयाल ने रखी।
- 1576 ई. में हल्दीघाटी युद्ध की योजना इस दुर्ग में बनी थी।
- जहाँगीर ने सर टॉमस रो को भारत में बसने की अनुमति इस दुर्ग में दी।
- वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया।
- मैग्जीन दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्ण रूप से मुग़ल शैली में निर्मित है।
- वर्ष 1908 में राजपुताना संग्राहलय की स्थापना इसी दुर्ग में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष हीरानंद ओझा बने।

टॉडगढ़ (अजमेर)
- अजमेर जिले में स्थित यह दुर्ग कर्नल जेम्स टॉड द्वारा निर्मित है, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक व घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं।
- गोपालसिंह खरवा व विजयसिंह पथिक को इसी दुर्ग में कैद रखा गया था।
- वर्तमान में यहाँ जेल संचालित है।

गागरोण का दुर्ग (झालावाड़)
- दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के सबसे प्राचीन व विकट दुर्ग में गागरोण दुर्ग भी एक जल दुर्ग या औदुक दुर्ग है, जो कालीसिंध व आहु नदी के संगम पर है।
- उपनाम - डोडगढ, धुलरगढ़, शाहगढ़, गीधकगढ़।
- गागरोण का प्राचीन नाम गर्गराटपुर था।
- इसका नामकरण गागरोण देवीसिंह खींची ने किया।
- इस दुर्ग में 2 साके हुए-
- **प्रथम साका –** गागरोण के प्रथम साके का विवरण शिवदास गाडण कृत 'अचलदास खींची री वचनिका' में मिलता है, जिसमें 1423 ई.में अचल दास खींची (भोज का पुत्र) व मांडू के सुल्तान अलपंखा गौरी (होशंगशाह) के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अचलदास ने अपने बंधु बांधवों और योद्धाओं सहित शत्रु से जूझते हुए वीरगति प्राप्त की तथा उसकी रानी उमादे और लीला मेवाड़ी ने जौहर का नेतृत्व किया अंत में दुर्ग का भार सहजादे जगनी खां को सौंपा गया।
- **दूसरा साका –**1444 ई. में अचलदास के पुत्र पाल्हनसी का शासन काल में महमूद खिलजी के आक्रमण के समय हुआ। महमूद खिलजी ने विजय के बाद दुर्ग का नाम बदलकर 'मुस्तफाबाद' रखा।
- इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज ने 'वेलि किसन रुक्मणी री' ग्रन्थ गागरोण में ही लिखा।

लोहागढ़ दुर्ग (भरतपुर)
- उपनाम – राजस्थान का अजयदुर्ग, पूर्वी सीमा का प्रहरी
- महाराजा सूरजमल द्वारा स्थापित भरतपुर दुर्ग का निर्माण 1733 ई. में सौगर के निकट प्रारंभ हुआ।
- लोहागढ़ दुर्ग पारीख श्रेणी का है।
- लोहागढ़ दुर्ग में 1805-06 ई. में जसवंत राय होल्कर को शरण देने पर लॉर्ड लेक ने गोले दागे।
- लोहागढ़ दुर्ग के लिए कहावत है कि – "8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के दो छोरे (दुर्जनशाल व माधोसिंह)"
- इस दुर्ग का निर्माण मिट्टी से किया गया।
- लोहागढ़ दुर्ग में मंदिर – लक्ष्मण मंदिर (राजस्थान का एकमात्र मंदिर), बिहारी मंदिर।
- लोहागढ़ दुर्ग के महल – वजीर कोठी, दादी माँ का महल, किशोरी मां का महल, जवाहर बुर्ज आदि।
- लोहागढ़ दुर्ग पर 1826 ई. में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया।

बयाना दुर्ग (भरतपुर)
- उपनाम – रोणितपुर, बाणासुर, बादशाह दुर्ग, विजयमंदिर गढ आदि।
- यादव राजवंश के महाराजा विजयपाल ने अपनी राजधानी मथुरा को असुरक्षित जानकर यह दुर्ग माही (दमदमा) पहाडी पर बनवाया।
- बयाना दुर्ग से सर्वाधिक गुप्तकालीन मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं।
- बयाना दुर्ग में स्थित उषा मंदिर का निर्माण चित्रलेखा ने करवाया, जिसको मुबारक खिलजी ने तुड़वाकर उषा मस्जिद बनवाई।
- 1765 ई. में जवाहर सिंह ने अष्टधातु दरवाजा स्थापित करवाया।
- बयाना दुर्ग में सर्वाधिक कब्रें हैं।

डीग का किला (भरतपुर)
- निर्माण – बदन सिंह
- दुर्ग के भीतर सुरजमहल स्थित है।
- इस दुर्ग के किनारे जल महल स्थित है।
- राजस्थान में जलमहलों की नगरी – डीग (भरतपुर)

बाला किला (अलवर)
- निर्माण – अलघराज
- 52 दुर्गों का लाड़ला
- अलवर दुर्ग को 'आँख वाला किला' भी कहा जाता है।
- बाला किला में सलीम महल, हैंगिंग महल व झूला महल स्थित है।

भानगढ़ किला (अलवर)
- निर्माण – माधोसिंह ने 1631 ई. में करवाया।
- इस दुर्ग में मेंहदी महल स्थित है।
- यह दुर्ग सरिस्का अभयारण्य की सीमा के पास पहाड़ी पर स्थित है।
- वर्तमान समय में यह किला खंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है।

कुचामन का किला (नागौर)
- इसे 'जागीरी किलों का सिरमौर' कहा जाता है।
- इसका निर्माण गौड राजपूतों द्वारा करवाया गया।
- कुचामन के किले को अणखला किला भी कहते हैं क्योंकि इस किले का शत्रु सेना के सामने पतन नहीं हुआ।
- कुचामन एक मात्र जागीर थी, जिसकी स्वयं की मुद्रा इक्कतीसंदा थी।
- यह दुर्ग 'कुचबंधियों की ढाणी' के नाम से जाना जाता था।

मांडलगढ़ दुर्ग (भीलवाड़ा)
- यह गिरि दुर्ग भीलवाड़ा जिले में बनास, बेड़च व मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है।
- इस दुर्ग का निर्माण मंडिया भील द्वारा करवाया गया।
- यह दुर्ग जल और ओदुक दुर्ग श्रेणी का है।
- हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व अकबर की सेना को इस दुर्ग में 21 दिन का सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था।

अचलगढ़ दुर्ग (सिरोही)
- अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया।

शेरगढ़ (बारां)
- इस दुर्ग का निर्माण नागवंशीय शासकों ने करवाया। उस समय इसका नाम कोशवर्धन था, परन्तु बाद में शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ रखा गया।
- इस दुर्ग में हनुहुन्कार तोप रखी है।
- इस दुर्ग में रावल महल स्थित है।

नवलखा दुर्ग (झालावाड़)
- नवलखा दुर्ग का निर्माण 1860 ई. में झाला पृथ्वी सिंह द्वारा करवाया गया।
- एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण कार्य अभी तक जारी है।

भैंसरोडगढ़ दुर्ग
- कर्नल टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण भैंसाशाह नामक व्यापारी तथा रोड़ा चारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षार्थ करवाया था ताकि वर्षाकाल में यह दुर्ग उनका आश्रयस्थल बन सके।
- अरावली पर्वतमाला की विशाल घाटी में यह दुर्ग स्थित है जो चम्बल व बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित तीनों ओर से प्रभूत जल राशि से घिरा है।
- इसे 'राजस्थान का वेल्लोर' कहा जाता है।

राजस्थान के प्रमुख दुर्ग : एक दृष्टि में

दुर्ग	निर्माता	उपनाम
जैसलमेर	राव जैसल	सोनारगढ़, त्रिकुटगढ़, उत्तर भड़ किवाड़
जोधपुर	राव जोधा	मेहरानगढ़, मयूरध्वजगढ़, गढ़चिंतामणि
जालोर	प्रतिहार शासक	सुवर्णगिरि, सोनलगढ़, जाबालिपुर, कनकाचल
भरतपुर	सूरजमल	लोहागढ़, मिट्टी का किला
हनुमानगढ़	भाटी राजा भूपत	भटनेर दुर्ग, उत्तरी सीमा का प्रहरी
भैंसरोडगढ़	भैंसाशाह व्यापारी व रोडा चारण (बंजारा)	राजस्थान का वेल्लोर
चूरू	ठाकुर कुशालसिंह	चाँदी के गोले दागने वाला किला
अजमेर	अजयपाल	अजयमेरु, गढ़बीठली, तारागढ़, राजस्थान का जिब्राल्टर
चित्तौड़गढ़	मौर्य राजा चित्रांग (चित्रांगद)	चित्रकूट किला, गढ़ों का सिरमौर
कुम्भलगढ़ (राजसमन्द)	महाराणा कुम्भा	मेवाड़ की आँख, कुंभलमेरु, कुंभलमेर, माहोर
मैग्जीन (अजमेर)	अकबर	अकबर का किला अकबर का दौलतखाना
गागरोण (झालावाड़)	डोड परमार राजाओं द्वारा निर्मित मालदे	धूलरगढ़, डोडगढ़
शेरगढ़ (धौलपुर)	मालदेव	दक्खिन का द्वार गढ़
जयगढ़ (जयपुर)	सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह	चिल्ह का टिला
नाहरगढ़ (जयपुर)	सवाई जयसिंह **II**, सवाई रामसिंह **II**	सुदर्शनगढ़

नदियों के तट पर स्थित दुर्ग :-

दुर्ग	जिला	नदी
गागरोण का दुर्ग	झालावाड़	कालीसिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित
चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित
सुवर्णगिरि	जालोर	सूकड़ी
कोटा दुर्ग	कोटा	चम्बल

राजस्थान के दुर्गों पर आक्रमण

क्र.सं.	दुर्ग	समय	आक्रमणकारी	तत्कालीन शासक
1.	भटनेर दुर्ग (हनुमानगढ़)	1001 ई.	(i) महमूद गजनवी	-
		1398 ई.	(ii) तैमूर	-
		1570 ई.	(iii) अकबर	-
2.	रणथम्भौर दुर्ग (सवाईमाधोपुर)	1301 ई.	(i) अलाउद्दीन खिलजी	राणा हम्मीर देव चौहान
3.	गागरोण दुर्ग (झालावाड़)	1423 ई.	(i) होशंग शाह (मांडू सुल्तान)	अचलदास खींची
		1444 ई.	(ii) महमूद खिलजी	पाल्हणसी
4.	चित्तौड़गढ़ दुर्ग	1303 ई.	(i) अलाउद्दीन खिलजी	रावल रतनसिंह
		1534 ई.	(ii) बहादुरशाह	विक्रमादित्य
		1567-68 ई.	(iii) अकबर	उदयसिंह
5.	जैसलमेर दुर्ग	1312-13 ई.	(i) अलाउद्दीन खिलजी	रावल मूलराज
		1351-1388 ई. के मध्य	(ii) फिरोज तुगलक	रावल दूदा
		1550 ई.	(iii) अमीर अली (कंधार)	लूणकरण
6.	सुवर्णगिरि दुर्ग (जालोर)	1311	(i) अलाउद्दीन खिलजी	कान्हड़देव
7.	सिवाणा दुर्ग	1308 ई.	(i) अलाउद्दीन खिलजी	सातलदेव
8.	शेरगढ़ दुर्ग (धौलपुर)	1500 ई.	(i) बहलोल लोदी	-

♦♦♦♦

राजस्थान की राजव्यवस्था

1 राज्यपाल

- वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। राज्य की कार्यकारी शक्ति उनमें निहित है।
- भाग VI (राज्य) के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है, जिसका राज्यपाल नाममात्र का प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है।
- वे केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। इसलिए, राज्यपाल के कार्यालय की दोहरी भूमिका होती है।
- केंद्र में उप-राष्ट्रपति के समान उप-राज्यपाल का कोई पद नहीं होता।

सामग्री	विवरण
153	राज्यों के राज्यपाल
154	राज्य की कार्यकारी शक्ति
155	राज्यपाल की नियुक्ति
156	राज्यपाल के पद का कार्यकाल
157	राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ
158	राज्यपाल कार्यालय की शर्तें
159	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
160	कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन
161	क्षमा आदि देने की राज्यपाल की शक्ति
162	राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार
163	राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्तियाँ, कार्यकाल, वेतन और अन्य
165	राज्य के महाधिवक्ता
166	किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन
167	राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
174	राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
200	विधेयकों पर सहमति (अर्थात् राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति)
201	राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित विधेयक
213	अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति
217	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श किया जा रहा है
233	राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
234	राज्यपाल द्वारा राज्य की न्यायिक सेवा में व्यक्तियों (जिला न्यायाधीशों के अलावा) की नियुक्ति।

संविधान में प्रावधान

- संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है।
- राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, और राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) शामिल होते हैं।
- राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख (संवैधानिक प्रमुख) होता है। एवं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है।
- प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है लेकिन सातवें संविधान संसोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल की नियुक्ति

- राज्यपाल जनता द्वारा चुना नहीं जाता और न ही अप्रत्यक्ष चुनाव से इसका निर्वाचन होता बल्कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञापत्र से होती है। अर्थात वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है।
- उच्चतम न्यायालय के 1979 के निर्णय के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है।

राज्यपाल हेतु अर्हताएं

- संविधान ने राज्यपाल हेतु दो अर्हताएं निर्धारित की
  1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
  2. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित दो परम्पराएं भी जुड़ गयीं यद्यपि दोनों परम्पराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन हुआ है
  1. वह उस राज्य से संबंधित न हो जिस राज्य में नियुक्त किया जा रहा है।
  2. राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे।

राज्यपाल पद की शर्तें

- उसे न तो संसद सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य। यदि किसी सदन का सदस्य है तो पद ग्रहण से पूर्व उस सदन से त्यगपत्र देना होगा।
- उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों एवं विशेषाधिकार का अधिकारी होगा।
- उसके कार्यकाल के दौरान आर्थिक उपलब्धियों एवं भत्ते काम नहीं किये जा सकते।
- यदि वह दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तब उपलब्धियां एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानक के हिसाब से मिलेंगे।

शपथ, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ

- राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तब उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं।
- राज्यपाल को अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होती है।
- राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
- राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार करके कारागार में नहीं डाला जा सकता।
- राज्यपाल को दो महीने के नोटिस पर व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर उनके विरुद्ध नागरिक कानून संबंधी कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

राज्यपाल की पदावधि

- राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से पांच वर्ष के लिए होता है लेकिन वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
- राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति, एक राज्यपाल को जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है को उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त कर सकता है।
- एक राज्यपाल पांच वर्ष के बाद भी पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, ताकि रिक्तता की स्थिति न पैदा हो।
- राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सम्बोधित करके देता है।
- राष्ट्रपति को जब लगे की कोई अकस्मात् घटना हो रही है तब वह राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है।
- वर्तमान राज्यपाल के अकस्मात् निधन पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है।

राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां

- राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं।
- राज्यपाल इस संबंध में भी नियम बना सकता है कि उसके नाम से बनाये गए आदेश और अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे।
- वह राज्य सरकार के कार्य और मंत्रियों को कार्य का आबंटन सुविधाजनक हो इसके लिए नियम बना सकता है।
- वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है एवं सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
- मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में राज्यपाल, जनजाति कल्याण मंत्री की भी नियुक्ति करता है।
- राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसका वेतन भत्ते तय करता है तथा महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त तक होता है।
- वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है एवं उसकी सेवा शर्तें व कार्यावधि तय करता है।
- वह राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। लेकिन हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है।
- वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या विधायी प्रस्ताव की जानकारी मांग सकता है।
- यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान न लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है।
- वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। एवं राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाती हैं।
- वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है।

राज्यपाल की विधायी शक्तियां

- राज्यपाल, राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है, इसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं:-
- वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रावसान और विघटित कर सकता है।
- वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले एवं प्रतिवर्ष के पहले सत्र को सम्बोधित कर सकता है।
- वह विधनमण्डल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य मसले पर सन्देश भेज सकता है।
- जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है।
- राज्य विधानपरिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को वह नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा का ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव हो।
- वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है।
- विधानसभा सदस्य की निरर्हता के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद इसका निर्णय करता है।
- जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकता है, एवं वह किसी भी समय अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है।
- वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत करता है।

राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर

- 1. वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है। या
  2. स्वीकृति के लिए रोक सकता है। या
  3. यदि वह धन विधयेक नहीं है तो विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन यदि राज्य विधानमंडल विधेयक में संशोधन या बिना संशोधन के विधेयक को पुन: पास कर दे तब राज्यपाल को स्वीकृति देना आवश्यक है।
  4. विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है।

राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां

- राज्यपाल सुनिश्चित करता है की वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य का बजट) को राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाए।
- धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
- बिना राज्यपाल की सहमति के किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती।
- वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहां के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम ले सकता है।
- पंचायतों एवं नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की हर पांच वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है।

न्यायिक शक्तियाँ

- वह जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण करता है (अनुच्छेद 233)
- अनुच्छेद 217 के अनुसार, वह राज्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श लेने का हकदार है।
- राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ भी दिलाते हैं
- 234 - राज्यपाल द्वारा राज्य की न्यायिक सेवा में व्यक्तियों (जिला न्यायाधीशों के अलावा) की नियुक्ति के लिए समर्थन।

क्षमा करने की शक्तियाँ

- 161 - कहता है कि राज्यपाल के पास उन मामलों से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की शक्ति होगी, जिसके लिए राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति होगी। राज्य का विस्तार होता है।

राज्यपाल का विवेकाधिकार

- संविधान में यह स्पष्ट है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा एवं इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा कि उसे विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं।

राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार

- 1. राष्ट्रपति के विचार हेतु किसी विधेयक को आरक्षित करना।
  2. राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।
  3. जब पडोसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार हो उस समय कार्य करते समय।
  4. असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रायल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद् को देय राशि का निर्धारण।
  5. राज्य के विधानपरिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना।
- **राजनीतिक स्थिति के मामले में विवेकाधिकार :-**
  1. विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने पर या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने एवं उसके निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में।
  2. राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मसले पर। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना।

राज्यपाल के चयन से संबंधित सरकारिया आयोग के सुझाव

- राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए। इसके लिए अनुच्छेद 155 में संशोधन किया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावधि हो।
- यदि कोई राज्यपाल पद से त्याग-पत्र देकर सक्रिय राजनीति में शामिल होता हैं तो इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्यपाल राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं ले रहा हो।
- केन्द्र-राज्य संबंधों की गहन समीक्षा के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। इसके तीन सदस्यों में आर. एस. सरकारिया (अध्यक्ष), एस. आर. सेन, रामा सुब्रह्मणयम तथा वी. शिवरामन शामिल थे। जनवरी, 1988 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।
- सन् 2005 में वीरप्पा मोईली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया। इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के सन्दर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा, जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे। लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

कार्यकाल पूर्ण करने वाले राज्यपाल (5 साल)

- 1. सवाई मानसिंह (राजप्रमुख)
  2. गुरुमुख निहालसिंह
  3. डॉ. सम्पूर्णानन्द (1962-1967)
  4. कल्याण सिंह (2014-19)

राष्ट्रपति शासन राज्य में (4 बार) राज्यपाल

- राजस्थान में कुल चार बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है।

1. 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967

- राज्य में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 को लागू हुआ था, जो 26 अप्रैल 1967 को समाप्त हुआ था।
- लगभग 42 दिनों का राष्ट्रपति शासन सबसे छोटा माना जाता है।
- डॉ. सम्पूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह

2. 30 अप्रैल से 21 जून 1977

- राज्य में दूसरा राष्ट्रपति शासन 29 अगस्त 1973 से 22 जून 1977 तक था।
- नियम लागू होने से पहले हरिदेव जोशी की सरकार थी।
- वेदपाल त्यागी, श्री रघुतिलक

3. 17 फरवरी से 5 जून 1980

- तीसरा राष्ट्रपति शासन 16 मार्च 1980 से 6 जून 1980 तक चला था। भैरोंसिंह शेखावत सरकार पहले सत्ता में थी।
- श्री रघु तिलक

4. 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993

- चौथा और अंतिम राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 को लगाया गया था, जो 4 दिसंबर 1993 को समाप्त हुआ था। इस राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले भैरों सिंह की सरकार थी।
- डॉ. एम चेन्नारेड्डी, बलिराम भगत

राज्यपालों की पद पर रहते हुए मृत्यु

- 1. दरबारा सिंह (1998)
  2. निर्मल चन्द जैन (2003)
  3. एस. के. सिंह (2009)
  4. श्रीमती प्रभा राव (2010)

महिला राज्यपाल

श्रीमति प्रतिभा पाटिल

- 08-11-2004 से 23-06-2007
- राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल।
- राजस्थान के राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम महिला राज्यपाल।

श्रीमति प्रभा राव

- 3-12-2009 से 24-01-2010 तक (अतिरिक्त प्रभार),
- 25-01-2010 से 26-04-2010 तक (कार्यवाहक)
- पद पर रहते हुये मृत्यु (26-04-2010) हुई थीं।
- यह तत्कालीन हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थीं इन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा

- 12-05-2012 से 07-08-2014

राजस्थान के संदर्भ में राज्यपाल

- राजस्थान में 30 मार्च, 1949 से 31 अक्टूबर, 1956 तक राज्य में राजप्रमुख का पद था। इस पद पर जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय नियुक्त थे। सवाई मानसिंह द्वितीय राजस्थान के पहले व एकमात्र राजप्रमुख थे।
- राजस्थान में 1 नवम्बर, 1956 को राज्य के पुनर्गठन के बाद राजप्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया।
- राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहालसिंह बने।
- गुरुमुख निहालसिंह ने मोहनलाल सुखाड़िया को 2 बार (1957, 1962) शपथ दिलाई थी।
- गुरुमुख निहालसिंह का कार्यकाल सबसे लम्बा है।
- सबसे कम कार्यकाल सरदार दरबारा सिंह (23 दिन) का था ।
- राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी।
- मारग्रेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल व प्रभाराव के बाद राज्य की तीसरी महिला राज्यपाल बनी।
- पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल शिवराज पाटिल (23 माह तक) राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे।
- राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री मदनलाल खुराना राज्यपाल का पद बीच में ही छोड़कर सक्रिय राजनीति में वापस लौट गए।
- राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण।
- मदनलाल खुराना तथा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान के दो ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया।
- वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र 41वें राज्यपाल जिन्होंने 9 सितम्बर, 2019 को पद ग्रहण किया।

राजस्थान में अब तक के राज्यपालों की सूची-

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	महाराजा सवाई मानसिंह (राज प्रमुख)	30 मार्च, 1949 से 31 अक्टूबर, 1956 तक
2.	सरदार गुरुमुख निहाल सिंह (सर्वाधिक समय तक)	01 नवम्बर, 1956 से 15 अप्रैल, 1962 तक
3.	डॉ. सम्पूर्णानन्द सिंह	16 अप्रैल, 1962 से 15 अप्रैल, 1967 तक
4.	सरदार हुकुम सिंह	16 अप्रैल, 1967 से 19 नवम्बर, 1970 तक
5.	जगत नारायण (कार्यवाहक)	20 नवम्बर, 1970 से 23 दिसम्बर, 1970 तक
6.	सरदार हुकुम सिंह (दूसरी बार)	24 दिसम्बर, 1970 से 30 जून, 1972 तक
7.	सरदार जोगेन्द्र सिंह	1 जुलाई, 1972 से 14 फरवरी, 1977 तक
8.	वेद पाल त्यागी (कार्यवाहक) न्यायाधीश	15 फरवरी, 1977 से 11 मई, 1977 तक
9.	श्री रघुकुल तिलक	12 मई, 1977 से 8 अगस्त, 1981 तक
10.	के.डी. शर्मा (कार्यवाहक) न्यायाधीश	8 अगस्त, 1981 से 55 मार्च, 1982 तक
11.	श्री ओमप्रकाश मेहरा	6 मार्च, 1982 से 04 जनवरी, 1985 तक
12.	पी.के. बनर्जी (कार्यवाहक)	5 जनवरी, 1985 से 31 जनवरी, 1985 तक
13.	श्री ओमप्रकाश मेहरा	01 जनवरी, 1985 से 03 नवम्बर, 1985 तक
14.	डी.पी. गुप्ता (कार्यवाहक) न्यायाधीश	04-11-1985 से 19-11-1985 तक
15.	श्री वी.आर. पाटिल	20-11-1985 से 14-10-1987 तक
16.	जे.एस. वर्मा (कार्यवाहक) न्यायाधीश	15-11-1987 से 19-02-1988 तक
17.	श्री सुखदेव प्रसाद	20-02-1988 से 02-02-1989 तक
18.	जे.एस. वर्मा (कार्यवाहक) न्यायाधीश (सुखदेव प्रसाद की विदेश में चिकित्सा के कारण)	03-02-1989 से 19-02-1989 तक
19.	सुखदेव प्रसाद	20-02-1989 से 02-02-1990 तक
20.	मिलाप चन्द जैन (कार्यवाहक) न्यायाधीश	03-02-1990 से 13-02-1990 तक
21.	प्रो. देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय	14-02-1990 से 25-08-1991 तक

22.	स्वरूप सिंह (अतिरिक्त प्रभार), गुजरात राज्यपाल	26-08-1991 से 04-02-1992 तक
23.	डॉ. एम. चेन्नारेड्डी	05-02-1992 से 30-05-1993 तक
24.	धनिकलाल मंडल (अतिरिक्त प्रभार), हरियाणा मुख्यमंत्री	31-05-1993 से 29-06-1993 तक
25.	श्री बलिराम भगत (जनवरी, 1976-मार्च, 1977 लोकसभा अध्यक्ष)	30-06-1993 से 30-04-1998 तक
26.	श्री दरबारा सिंह (कार्यकाल के दौरान निधन)	01-05-1998 से 24-05-1998 तक
27.	एन.एल. टिबेरवाल (कार्यवाहक) न्यायाधीश	25-05-1998 से 15-01-1999 तक
28.	श्री अंशुमान सिंह	16-01-1999 से 13-05-2003 तक
29.	श्री निर्मलचन्द जैन (कार्यकाल के दौरान निधन)	14-05-2003 से 22-09-2003 तक
30.	कैलाशपति मिश्रा (अतिरिक्त प्रभार) गुजरात राज्यपाल	22-09-2003 से 13-01-2004 तक
31.	श्री मदनलाल खुराना (त्याग-पत्र)	14-01-2004 से 01-11-2004 तक
32.	टी.वी. राजेश्वर (अतिरिक्त प्रभार) उत्तर प्रदेश राज्यपाल	01-11-2004 से 08-11-2004 तक
33.	श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (पहली महिला राज्यपाल) (त्याग-पत्र)	08-11-2004 से 23-06-2007 तक
34.	डॉ. के.आर. किदवई (अतिरिक्त प्रभार) हरियाणा राज्यपाल	23-06-2007 से 06-09-2007 तक
35.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (कार्यकाल के दौरान निधन) (कार्यवाहक)	06-09-2007 से 01-12-2009 तक
36.	श्रीमती प्रभाराव (कार्यकाल के दौरान निधन) (अतिरिक्त प्रभार) हिमाचल प्रदेश राज्यपाल (कार्यवाहक)	3-12-2009 से 24-01-2010 तक (अतिरिक्त प्रभार), 25-01-2010 से 26-04-2010 तक (कार्यवाहक)
37.	श्री शिवराज पाटिल (अतिरिक्त प्रभार) (पंजाब के राज्यपाल)	28.04.2010 से 12.05.2012 तक
38.	श्रीमती मारग्रेट अल्वा (उत्तराखण्ड की पूर्व राज्यपाल) (कार्यवाहक)	12.05.2012 से 07.08.2014 तक
39.	श्री राम नाईक (अतिरिक्त प्रभार) (राज्यपाल उत्तर प्रदेश)	08.08.2014 से 03.09.2014 तक
40.	श्री कल्याण सिंह (28.01.2015-12.08.2015 तक हिमाचल प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार)	04.09.2014 से 2019 तक
41.	श्री कलराज मिश्र	09.09.2019 से लगातार अब तक

♦♦♦♦

Sri Ganganagar
Hanumangarh
Anupgarh
Churu
Jhunjhunu
Bikaner
Khairthal-
Tijara
Neem Ka
Thana
Kotputli-
Behror
Sikar

राजस्थान का भूगोल

Bundi
Bhilwara
Jalore
Rajsamand
Kota
Baran
Sanchore
Sirohi
Chittorgarh
Udaipur
Jhalawar
Salumbar
Pratapgarh
Dungarpur
Banswara

1 स्थिति एवं विस्तार

राजस्थान का परिचय

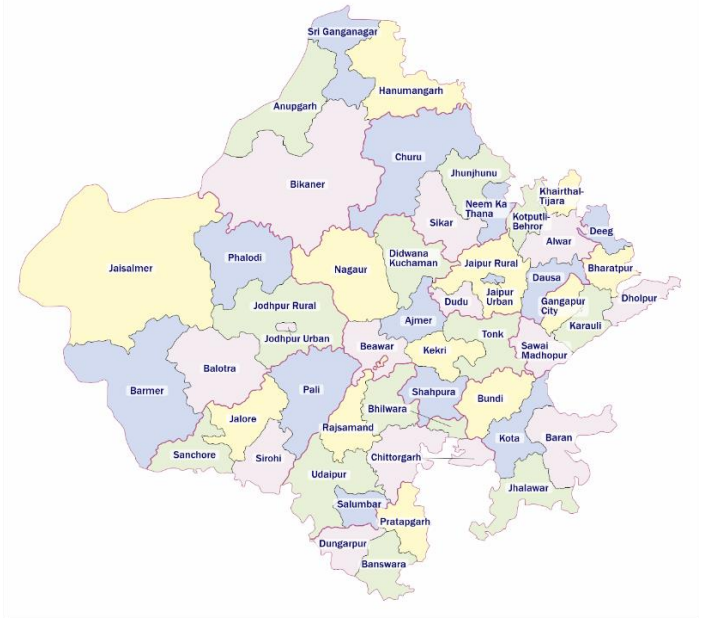

- राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यह देश के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल **3,42,239** वर्ग किलोमीटर है, (**1,32,139** वर्ग मील) जो भारत के कुल क्षेत्रफल का **10.41%** या **1/10वाँ** भाग या दसवां हिस्सा है।
- विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 0.25% है।
- (1 नवम्बर, 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना।)
- क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के पाँच बड़े राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान श्रीलंका से पाँच गुना, चेकोस्लोवाकिया से तीन गुना, इजराइल से सत्रह गुना, ब्रिटेन से लगभग दुगुना है।
- जापान, कांगो रिपब्लिक, फिनलैंड और जर्मनी के क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल लगभग बराबर है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के तीन बड़े जिले –
  1. जैसलमेर, 2. बीकानेर, 3. बाड़मेर
- क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के तीन छोटे जिले–
  1. दूदू, 2. जयपुर शहर, 3. जोधपुर शहर

राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं आकृति

राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति

अक्षांशीय स्थिति	देशांतरीय स्थिति
अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है।	देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्द्ध में स्थित है।

- ग्लोब या विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति उत्तर–पूर्व (इशान कोण) में है।
- राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है।
- इस आकृति के बारे में सर्वप्रथम **'टी.एच. हेंडले'** ने बताया।

राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार:–

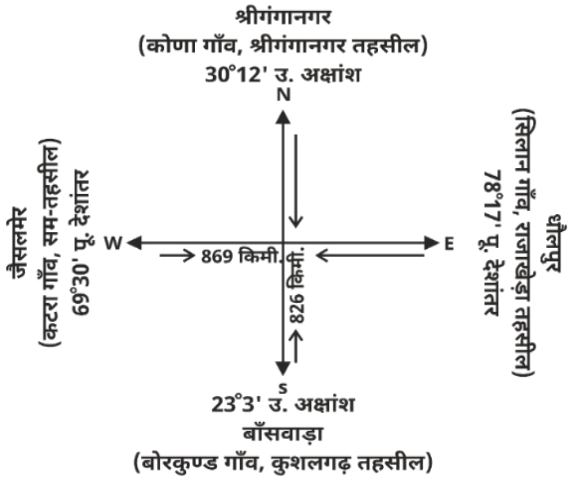

राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार:–

- राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार **23°3' उत्तरी अक्षांश से 30°12'** उत्तरी अक्षांश तक है।
- राजस्थान का **अक्षांशीय विस्तार 7°9'** अक्षांशों के मध्य है।
- राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लम्बाई 826 किलोमीटर है।
- राजस्थान का उत्तरतम बिन्दु कोणा गाँव (श्रीगंगानगर) है।
- राजस्थान का दक्षिणतम बिन्दु बोरकुण्ड (बाँसवाड़ा) है।

राजस्थान का देशांतरीय विस्तार:–

- राजस्थान का देशान्तरीय विस्तार **69°30' पूर्वी देशांतर से 78°17' पूर्वी देशांतर** तक है।
- राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8°47' देशांतरों के मध्य है।
- राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 **किलोमीटर** है।
- राजस्थान का पूर्वी बिन्दु सिलाना गाँव (धौलपुर) है।
- राजस्थान का पश्चिमी बिन्दु कटरा गाँव (जैसलमेर) है।

कर्क रेखा $23\frac{1}{2}^{0}$ उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा भी कहते है, यह राजस्थान के दक्षिणी भाग से निकलती है।

- यह भारत के आठ राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम से होकर गुजरती है।

राजस्थान का विस्तार:-

स्थलीय सीमा-

- राजस्थान की कुल **स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर** है, जिसमें से **1,070 किलोमीटर** अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा **4,850 किलोमीटर** अन्तर्राज्यीय सीमा है।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-

- राजस्थान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसका नाम **'रेडक्लिफ रेखा'** है।

रेडक्लिफ रेखा

- रेडक्लिफ रेखा एक कृत्रिम रेखा है।
- रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई है।
- रेडक्लिफ लाइन का निर्धारण 17 अगस्त, 1947 को हुआ था।
- रेडक्लिफ रेखा पर भारत के 3 राज्य और 2 केन्द्र शासित प्रदेश स्थित हैं-

  तीन राज्य-
  1. पंजाब
  2. राजस्थान
  3. गुजरात

  दो केन्द्र शासित प्रदेश-
  1. जम्मू-कश्मीर
  2. लद्दाख
- रेडक्लिफ लाइन की कुल लम्बाई 3,323 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के साथ 1,070 किलोमीटर की सीमा लगती है यानी कि कुल रेडक्लिफ का एक-तिहाई भाग राजस्थान के साथ संलग्न है।
- इस अन्तर्राष्ट्रीय रेखा का नामकरण ब्रिटिश 'वकील सिरिल रेडक्लिफ' के नाम पर किया गया था।
- अन्तर्राष्ट्रीय रेखा की शुरुआत श्रीगंगानगर जिले के हिन्दूमल कोट से शुरू होकर बाड़मेर जिले के भागल गाँव (बाखासर) तक है।
- राजस्थान के 6 जिले अन्तर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित हैं जो कि निम्नलिखित हैं-

1.	श्रीगंगानगर	210 किलो मीटर
2.	बीकानेर	168 किलो मीटर
3.	जैसलमेर	464 किलो मीटर
4.	बाड़मेर	228 किलो मीटर
5	अनुपगढ	
6	फलौदी	

- अन्तर्राष्ट्रीय-सीमा पर स्थित जिलों के अतिरिक्त सबसे नजदीक जिला-मुख्यालय अनुपगढ तथा सबसे दूर धौलपुर है।
- रेडक्लिफ पर पाकिस्तान के 9 जिले स्थित हैं- पंजाब प्रान्त के 3 जिले बहावलनगर, बहावलपुर, रहीमयार खां जिले तथा सिंध प्रांत के 6 जिले घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट व थारपारकर राजस्थान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं।

अन्तर्राज्यीय-सीमा-

- राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा पाँच राज्यों के साथ लगती है।
- यह अन्तर्राज्यीय-सीमा 4,850 किलोमीटर है।
- राजस्थान के उत्तर में पंजाब राज्य है।
- राजस्थान के उत्तर-पूर्व में हरियाणा राज्य है।
- राजस्थान के पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य है।
- राजस्थान के दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश राज्य है।
- राजस्थान के दक्षिण-पश्चिम में गुजरात राज्य है।

पंजाब राज्य-

- यह राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा 89 किलोमीटर बनाता है।
- पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित राजस्थान के दो जिले हैं। श्रीगंगानगर पंजाब के साथ सर्वाधिक व हनुमानगढ़ न्यूनतम सीमा बनाता है।

हरियाणा राज्य-

- हरियाणा राज्य राजस्थान के साथ 1,262 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
- हरियाणा के साथ राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूँ, नीम का थाना, कोटपूतली बहरोड., खैरथल, डिग, अलवर जिले सीमा बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश राज्य-

- उत्तर प्रदेश राज्य राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
- उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के दो जिले सीमा बनाते हैं-
  1. भरतपुर 2. धौलपुर 3. डीग
- उत्तर प्रदेश के दो जिलों की सीमाएँ राजस्थान के साथ लगती हैं-
  1. मथुरा 2. आगरा

मध्य प्रदेश राज्य-

- मध्य प्रदेश राज्य राजस्थान के साथ 1,600 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
- **राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं-**
  1. धौलपुर 2. करौली
  3. सवाई माधोपुर 4. कोटा
  5. बाराँ 6. झालावाड़ (सर्वाधिक)
  7. चित्तौड़गढ़ 8. भीलवाड़ा (न्यूनतम)
  9. प्रतापगढ़ 10. बाँसवाड़ा।
- कोटा मध्य प्रदेश के साथ में दो बार सीमा बनाता है।

गुजरात राज्य-

- गुजरात राज्य राजस्थान के साथ 1,022 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
- गुजरात के साथ राजस्थान के बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचोर व बाड़मेर जिले सीमा बनाते हैं।

- राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कांडला बंदरगाह (गुजरात) है।
- राजस्थान के 29 जिले अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है।
- राजस्थान के चार ऐसे जिले हैं जो दो-दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं-
  1. हनुमानगढ़ - पंजाब व हरियाणा।
  2. भरतपुर - हरियाणा व उत्तर प्रदेश।
  3. धौलपुर - उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश।
  4. बाँसवाड़ा - मध्य प्रदेश व गुजरात।
- राजस्थान के 2 जिले अन्तर्राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं-
  1. श्रीगंगानगर - पाकिस्तान व पंजाब।
  2. बाड़मेर - पाकिस्तान व गुजरात।
- राजस्थान के 21 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राष्ट्र तथा राज्य से नहीं लगती है।
- कोटा एवं चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले है जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते है।

राजस्थान के संभाग

- वर्तमान में राजस्थान में 10 संभाग हैं।
- नवीनतम संभाग बांसवाडा, सीकर, पाली है। इसकी घोषणा 17 मार्च, 2023 को की गई तथा इनका गठन 7 अगस्त, 2023 को हुआ बांसवाडा संभाग, उदयपुर संभाग का विभाजन करके तथा सीकर संभाग, जयपुर व बीकानेर संभाग का विभाजन करके एंव पाली संभाग, जोधपुर संभाग का विभाजन करके बनाया गया ।
- भरतपुर की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने 04 जून, 2005 को की थी।
- अप्रैल, 1962 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा 26 जनवरी, 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुन: शुरू किया और अजमेर को छठा संभाग बनाया।
- जिले के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को जिलाधीश (वर्तमान में जिला कलेक्टर) एवं संभाग स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को संभागीय आयुक्त के पदनाम से संबोधित किया गया।

1. जयपुर संभाग

- जयपुर संभाग में 7 जिले है- जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, अलवर, दौसा, दूदू, कोटपूतली- बहरोड, खैरथल- तिजारा
- जयपुर संभाग में क्षेत्रफल के हिसाब से बडा जिला जयपुर ग्रामीण एंव छोटा जिला दूदू है।

2. जोधपुर संभाग-

- जोधपुर संभाग में 6 जिले है - बीकानेर ,हनुमानगढ, गंगानगर, फलौदी, बाडमेर, जैसलमेर, बालोतरा
- जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल के हिसाब से बडा जिला जैसलमेर तथा छोटा जिला जोधपुर शहर है।

3. बीकानेर संभाग-

- बीकानेर संभाग में 4 जिले है- बीकानेर, हनुमानगढ, अनूपगढ।
- बीकानेर संभाग में क्षेत्रफल के हिसाब से बडा जिला बीकानेर एंव छोटा जिला गंगानगर है।

4. कोटा संभाग-

- कोटा संभाग में 4 जिले है - कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड.
- कोटा संभाग में क्षेत्रफल के हिसाब से बडा जिला बारां तथा छोटा जिला कोटा है।

5. अजमेर संभाग-

- अजमेर संभाग में 7 जिले है- अजमेर, नागौर, टोंक, डीडवाना-कुचामन,शाहपुरा,ब्यावर, केकडी

6. उदयपुर संभाग-

- **उदयपुर** संभाग में 5 जिले है - उदयपुर, भीलवाडा, राजसमंद, चितौडगढ, सलूम्बर है।

7. भरतपुर संभाग-

- भरतपुर संभाग में 6 जिले है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुरसिटी, डीग।

8. बांसवाड़ा संभाग-

- बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले है- बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़।
- बांसवाड़ा संभाग में क्षेत्रफल के हिसाब से बडा जिला बांसवाड़ा तथा छोटा जिला डूंगरपुर है।
- यह अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात व मध्य प्रदेश से बनाता है।

9. पाली संभाग-

- पाली संभाग में 4 जिले है - पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही।
- पाली संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला पाली तथा छोटा जिला सांचौर है।

10. सीकर संभाग-

- सीकर संभाग में 4 जिले है सीकर, झुंझुनूं, चुरु, नीम का थाना।
- सीकर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चुरु तथा छोटा जिला नीम का थाना है।

राजस्थान के जिले

- वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हैं।
- राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नये जिलों की घोषणा की है जिससे राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गयी है।
- 19 नये जिले - बालोतरा, ब्यावर, अनूपगढ़, डीडवाना, डीग, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, कोटपुतली, खैरथल, नीम का थाना, फलौदी, सांचौर, केकड़ी, शाहपुरा, सलूम्बर।
- नये जिले के गठन से संबंधित कमेटी रामलुभाया कमेटी थी।
- एकीकरण के समय सबसे अन्त में सम्मिलित होने वाला जिला अजमेर था, जिसे 26 वें जिले के रूप में मान्यता मिली।
- 27 वाँ जिला धौलपुर 15 अप्रैल, 1982 को बना।
- 28 वाँ जिला बाराँ 10 अप्रैल, 1991 को बना।
- 29 वाँ जिला दौसा 10 अप्रैल, 1991 को बना।
- 30 वाँ जिला राजसमन्द 10 अप्रैल, 1991 को बना।
- 31 वाँ जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई, 1994 को बना।
- 32 वाँ जिला करौली 19 जुलाई, 1997 को बना।
- 33 वाँ जिला प्रतापगढ़ 1 अप्रैल, 2008 को बना।

राजस्थान के भौगोलिक विशेषताओं वाले क्षेत्र एवं उनके उपनाम

कांठल

- प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र माही नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम कांठल पड़ा।

गिरवा

- उदयपुर, के आसपास पहाड़ियों से घिरे भाग को गिरवा कहते हैं जिसका सामान्य अर्थ पहाड़ियों की मेखला है।

भौमट

- डूँगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिलों का आदिवासी क्षेत्र।

शेखावाटी

- झुंझुनूँ, चूरू, सीकर, जिलों को शेखावाटी के नाम से जाना जाता है।

ढूँढाड़

- आधुनिक जयपुर के पास बहने वाली ढूँढ नदी के समीपवर्ती भाग को ढूँढाड़ कहते थे।

गुर्जर प्रदेश

- जोधपुर और पाली का क्षेत्र।

वल्ल और दुंगल

- बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र।

स्वर्णगिरी

- जालोर का क्षेत्र।

ऊपरमाल का पठार

- मुख्य रूप से भैंसरोड़गढ़ (चित्तौड़गढ़) एवं बिजौलिया (भीलवाड़ा) के मध्य पठारी भू-भाग।

देशहरो-

- जरगा और रागा के बीच पहाड़ी भाग जो वर्ष भर हरा-भरा रहता है, इसलिए इस प्रदेश को देशहरो कहा जाता था।

थली

- चूरू, सरदारशहर का क्षेत्र।

छप्पन का मैदान-

- प्रतापगढ़ एवं बाँसवाड़ा के मध्य भू-भाग को **छप्पन का मैदान** कहा जाता है क्योंकि इस भू-भाग में छप्पन गाँवों अथवा नदी-नालों का समूह है।

मेवल व देवलिया-

- बाँसवाड़ा और डूँगरपुर के मध्य का भू-भाग है। मेव (डूंगर पहाड़ी) स्थित होने के कारण।

मत्स्य प्रदेश-

- अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली जिले का पूर्वी भाग।

यौद्धेय-

- श्रीगंगानगर के निकट का प्रदेश।

शौरसेन-

- भरतपुर, करौली, धौलपुर का क्षेत्र।

शिवी-

- उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र।

बागड़-

- डूँगरपुर, बाँसवाड़ा का क्षेत्र।

अहिच्छत्रपुर-

- नागौर के चारों ओर का क्षेत्र।

राजस्थान की उत्पत्ति

- महाद्वीपीय -विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया।
- वेगनर ने बताया कि सर्वप्रथम पृथ्वी पर एक ही भू-भाग था।
- अल्फ्रेड वेगेनर के अनुसार महाद्वीपों के संयुक्त रूप को **'पेंजिया'** तथा इसके चारों ओर जलीय आकृति **'पेंथालासा'** कहा।
- प्री-केम्ब्रियन काल में इस पेंजिया का विखण्डन हो गया तथा जिस टुकड़े का खिंचाव उत्तर की ओर हुआ उसे **'अंगारा लैंड'** तथा जिसका खिंचाव दक्षिण की ओर हुआ उसे **'गोंडवाना लैंड'** नाम दिया गया।
- अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के बीच में स्थित जलीय - आकृति को वेगनर ने **'टेथिस महासागर'** नाम दिया था।
- राज्य की उत्पत्ति में अंगारा लैंड का कोई योगदान नहीं है।
- राजस्थान का उत्तर-पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश टेथिस-महासागर के अवशेष हैं।
- अरावली पर्वतीय प्रदेश व दक्षिण-पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं।
- राजस्थान में अधिकांशत: स्थलाकृतियों के निर्माण में टेथिस महासागर का योगदान है।

♦♦♦♦

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

1 राजस्थान उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र

- राजस्थान में उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग 32.5% है। इस क्षेत्र में लोगों का एक बड़ा हिस्सा काम करता है। राजस्थान में प्रमुख उद्योग कालीन और ऊन, खनिजों से संबंधित हस्तशिल्प और राजस्थान में विभिन्न खनिजों से जुड़े अन्य प्रमुख उद्योग हैं।
- स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान में केवल सात सूती वस्त्र मिलें, दो सीमेंट फैक्ट्रियाँ व दो चीनी की मिलें थीं।
- राजस्थान के गठन के समय राजस्थान में 11 वृहद् उद्योग, 7 सूती वस्त्र इकाइयाँ, 2 सीमेंट इकाई तथा 2 चीनी मिलें और 207 पंजीकृत फैक्ट्रियाँ थीं।
- वर्ष 1978 में केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई।
- वर्तमान में 36 जिला उद्योग केन्द्र तथा 8 उप-जिला उद्योग केन्द्र हैं।
- 8 उप-जिला केंद्र - नीमराना, मकराना, किशनगढ़, ब्यावर, फालना, बालोतरा, आबू रोड तथा सुजानगढ़ (चूरू) हैं।
- वर्ष 2021-22 में राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान 27.45% और 2022-23 में 27.31% है।
- स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीएसवीए में उद्योग क्षेत्र का योगदान 2021-22 में 28.17% और 2022-23 में 27.76% है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य 8% था।
- राजस्थान में इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प और रासायनिक और संबद्ध शीर्ष पाँच निर्यात वस्तुएँ हैं।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

- राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) हेतु आधार वर्ष 2011-12 है।
- यह सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण प्रस्तुत करता है। जैसे- खनन, विद्युत, विनिर्माण आदि।

थोक मूल्य सूचकांक (WIP)

- राज्य में थोक मूल्य सूचकांक (WIP) हेतु आधार वर्ष 1999-2000 को माना जाता है।
- राज्य का WPI का सामान्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000=100) वर्ष 2021 के 363.23 से बढ़कर वर्ष 2022 (नवंबर, 2022 तक) में 6.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 385.45 हो गया।
- राजस्थान सरकार मासिक आधार पर WPI जारी करती है। इसमें 154 वस्तुएं शामिल हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- प्रत्येक माह चार प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का तैयार किया जाता है।
  1. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) (आधार वर्ष-2016)
  2. कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) (आधार वर्ष 1986-87)
  3. ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-RL)
  4. ग्रामीण, शहरी और संयुक्त (CPI R, U & C) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2012)
- पहले तीन सूचकांक श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा तैयार और जारी किए जाते हैं और चौथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर CPI (IW) का निर्माण देश भर में 88 चयनित औद्योगिक रूप से विकसित केंद्रों के आधार पर किया गया है, इनमें से तीन केंद्र राजस्थान (अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर) में स्थित है।
- उपभोक्ता मूल्य का सामान्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक आधार वर्ष 2016=100) में अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर केंद्र शामिल है।
- राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2022 (एमएसएमई नीति 2022) का शुभारंभ 17 सितंबर, 2022 को किया गया।
- राजस्थान हस्तशिल्प नीति (2022) - 17 सितंबर, 2022 से लागू है।
- राजस्थान में 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। इनमें से वर्तमान में 58 खनिजों का खनन किया जा रहा है।
- राजस्थान सीसा-जस्ता, सेलेनाइट और वोलस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है।
- देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में ही होता है।
- राजस्थान देश में बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, गेरू, स्टीटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले का प्रमुख उत्पादक है।

राजस्थान में विभिन्न प्रकार के उद्योग

I. राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग

- राजस्थान राज्य में कृषि उत्पादों से संबंधित उद्योग या कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है।
  1. सूती वस्त्र उद्योग
  2. चीनी उद्योग
  3. ऊन उद्योग
  4. वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग
  5. डेयरी उद्योग
  6. बायोडीजल
  7. जैतून तेल उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग

- सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन विश्व व संगठित बृहत उद्योग है।
- भारत में प्रथम सूती मिल 1818 में धूसरी, कलकत्ता में स्थापित की गई जबकि राजस्थान में प्रथम सूती मिल 1889 में ब्यावर, अजमेर दी कृष्णा मिल्स स्थापित की गई।
- राजस्थान में भीलवाड़ा जिला सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है अतः इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं।

- राजस्थान का तकनीकी शहर व वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा भीलवाड़ा को घोषित किया गया है।
- राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा है तो राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर है।
- राजस्थान में मध्यम एवं बृहद औद्योगिक इकाइयों कि दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अलवर है तो राजस्थान का सबसे बड़ा छोटा औद्योगिक नगर करौली है।
- राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला जालोर है तो राजस्थान में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में है।

सार्वजनिक क्षेत्र की मिले –

1. दी कृष्णा मिल्स –

- दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान की प्रथम सूती मिल है जिसकी स्थापना दामोदर दास राठी ने 1889 मे निजी क्षेत्र में व्यावर में स्थापित की गई, जिसमें सर्वाधिक कार्यशील करघे लगे हुए हैं।

2. एडवर्ड मिल्स (ब्यावर) –

- एडवर्ड मिल्स लिमिटेड राजस्थान की दूसरी सूती मिल है जिसकी स्थापना 1906 मे ब्यावर में की गई जो वर्तमान में बंद है।

3. महालक्ष्मी मील्स (ब्यावर) –

- महालक्ष्मी लिमिटेड मील्स लिमिटेड राजस्थान की तीसरी सूती मील है इसकी स्थापना 1925 में ब्यावर में की गई।

4. श्री विजय नगर कॉटन मिल्स–

- विजयनगर, अजमेर, राजस्थान

सहकारी क्षेत्र की मिलें –

- 1. गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा
  2. राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, गुलाबपुरा
  3. गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, हनुमानगढ़

प्रमुख मिले

- मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना 1938 में भीलवाडा में की गई।
- राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मील्स की स्थापना 1960 मे भीलवाडा में की गई।
- माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट की स्थापना भीलवाडा में की गई।
- महाराजा उम्मेदसिंह मील्स लिमिटेड की स्थापना 1942 में पाली में की गई, यह राजस्थान की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मील है।
- उदयपुर कॉटन मिल्स की स्थापना 1961 में उदयपुर में की गई तथा 2006 में इसको बंद कर दिया गया।
- शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड की स्थापना 1946 में श्रीगंगानगर में की गई। आधुनिक पालिटेक्स कि स्थापना आबूरोड में की गई। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना 1968 में भवानी मंडी में की गई।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम सूती वस्त्र मील कोटा टैक्सटाईल 1956 में स्थापित की गई।
- देश में सूती वस्त्रों की सर्वाधिक मिले महाराष्ट्र व गुजरात में है।

चीनी उद्योग

दी मेवाड शुगर मिल्स लिमिटेड:-

- ये राजस्थान की प्रथम चीनी मील है इसकी स्थापना भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ में 1932 में निजी क्षेत्र में की गई।

दी गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड (गंगानगर):-

- यह राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है जिसकी स्थापना 1945 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से की गई, जिसे 1956 में राज्य सरकार ने अधिग्रहीत कर लिया जिसके बाद यह सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई।
- इंटीग्रेटेड शुगर मील परियोजना के तहत वर्तमान में इसे गंगानगर शहर से हटाकर कमनीपुरा गांव, श्रीकरणपुर, गंगानगर मे शिफ्ट कर दिया गया।

श्री केशोरायपाटन शुगर मिल्स लिमिटेड:-

- ये राजस्थान के तीसरे चीनी मिल है, इसकी स्थापना 1965 में केशोरायपाटन में सहकारी क्षेत्र में की गई वर्तमान में यह मील बंद है।

उदयपुर शुगर मिल –

- 1976 में उदयपुर में एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल स्थापित की गई।

ऊन उद्योग

- ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है।
- केन्द्रीय ऊन बोर्ड - जोधपुर
- राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन - जोधपुर
- राजस्थान में सबसे बड़ी ऊन मण्डी - बीकानेर
- वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला - बीकानेर
- स्टेट वूल मिल - बीकानेर
- ऊन प्रशिक्षण केंद्र - जयपुर
- केंद्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान केंद्र - अविकानगर (टोंक)

वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग

- राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री - भीलवाड़ा (स्थापना 1964)
- वर्तमान में वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादन - जयपुर
- सरसों तेल का उत्पादन सर्वाधिक - जयपुर

सरसों तेल के प्रमुख कारखानें -

- चम्बल - जयपुर
- वीर बालक - जयपुर
- नेताजी - जयपुर
- इंजन मार्का - भरतपुर

डेयरी उद्योग

- राजस्थान में डेयरी उद्योग का सर्वाधिक विकास में जयपुर में हुआ है।
- राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा (अजमेर) 1938 राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 में विश्व बैंक के सहयोग से जयपुर में स्थापित किया गया।
- डेयरी विकास के लिए राज्य में त्रिस्त्रीय ढाँचा बनाया गया है।
  1. शीर्ष - RCDF-1977 राज सहकारी डेयरी संघ (जयपुर)
  2. जिला स्तर पर - जिला दुग्ध सहकारी संघ

3. ग्रामीण स्तर पर - प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियों

राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF)

- राजस्थान में सन् 1972-73 में डेयरी विभाग के अन्तर्गत जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों की स्थापना की गई। वर्ष 1975 में विश्व बैंक की सहायता से 'राज्य डेयरी विकास निगम' की स्थापना की गई। जिसे सन् 1977 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (RCDF) में परिवर्तित कर दिया गया।

राज्य में डेयरी विकास की मुख्य योजनाएँ:-

1. सरस सुरक्षा कवच (जन श्री बीमा योजना)-

- RCDF द्वारा इस योजना का संचालन LIC के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के तहत राज्यभर के दुग्ध उत्पादकों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उनके बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हाल ही मे इसके चौथे चरण मे एक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 1 जनवरी, 2020 से लागू की गई है। इस योजना मे दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 5 लाख रुपये एवं आंशिक स्थायी विकलांगता पर 2.50 लाख रुपये की बीमा राशि देय है। इस योजनान्तर्गत दिसम्बर,2020 तक 135587 दुग्ध उत्पादकों को बीमित किया गया है।

2. सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना (मेडिक्लेम) –

- इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें दुग्ध उत्पादकों द्वारा अपने व अपने परिजनों के इलाज में व्यय हुई संपूर्ण राशि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सीधे ही संबंधित जिला चिकित्सालय को अदा की जाती है। दुग्ध उत्पादकों को चिकित्सालय में कोई राशि अदा नहीं करनी पड़ती है।
  इसका 15वाँ चरण 15 अक्टूबर, 2020 प्रारंभ की गई जिसके अंतर्गत माह दिसम्बर, 2020 तक 46506 दुग्ध उत्पादकों को बीमित किया गया है।

3. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना:

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजनान्तर्गत जिला दुग्ध संघों द्वारा माह अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक दुग्ध उत्पादकों को ₹2 प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि का भुगतान देय/जारी है।
  इस योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में ₹200.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध ₹50.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां गोपालन विभाग राजस्थान द्वारा प्रसारित की गई है। अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक दुग्ध उत्पादकों को लगभग ₹93.11 करोड़ अनुदान राशि का भुगतान देय है।
- आर.सी.डी.एफ. द्वारा वर्ष 2020-21 में भारत सरकार की केंद्रीय प्रवर्तित योजना नेशनल लाईव स्टॉक मिशन फोडर सीड प्रोक्योरमेन्ट, प्रोडक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना अन्तर्गत 60:40 के फण्डिंग पैटर्न पर ₹29.63 लाख (भारत सरकार का अंशदान) के माह दिसम्बर, 2020 तक विभिन्न जिला दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों हेतु जई चारा फसल प्रमाणित बीज के 17,107 मिनीकिटस वितरित किये गये तथा शेष 40 प्रतिशत राशि लाभार्थी द्वारा वहन की गई है। जिला दुग्ध संघों के दुग्ध उत्पादकों को दिसम्बर, 2020 तक 4,051 क्विंटल उन्नत चारा बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया गया हैं।

4. कामधेनु डेयरी योजना

- सरकार ने देशी गाय के हाइटेक डेयरी फॉर्म को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु डेयरी योजना शुरू की है।
- इसका उद्धेश्य कोविड-19 महामारी के चलते नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं उनके इम्यूनिटी को मजबूत करना।
- इस योजना में एक इकाई अधिकतम 36.38 लाख की होगी।
- इस योजना में प्रोजेक्ट लागत का 30% सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा और 10% राशि डेयरी स्थापित करने वाले उद्यमी को इन्वेस्ट करनी होगी। 60% राशि बैंक द्वारा लोन दी जाएगी- अर्थात् इस योजना के तहत किसानों और पशुपालकों को 90% लोन दिया जायेगा।

राजस्थान में संचालित प्रमुख डेयरी-

- वरमूल (WRMUL) Western Rajasthan Milk Union Ltd. (जोधपुर)
- उरमूल (URMUL) Uttari Rajasthan Milk Union Ltd. (बीकानेर)
- गंगमूल (Gangmul) Ganganagar Milk Union Ltd.
- मेट्रो डेयरी बस्सी (जयपुर) - क्षमता 11 लाख लीटर
- ऊँटनी के दुग्ध विपणन का केन्द्र जयपुर में स्थापित किया गया है।

बायोडीजल

- 1. कच्चा माल - रतनजोत / जैट्रोफा एवं करंज
  2. बायोडीजल रिफाइनरी - कलड़वास (उदयपुर)
  3. बायोडीजल प्लांट - झामर कोटड़ा (उदयपुर)

जैतून तेल / ऑलिव ऑयल

- जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर (बीकानेर)
- ऑलिव टी-प्लांट जयपुर-बस्सी में स्थापित किया गया है।

II. खनिज आधारित उद्योग

- 1. सीमेंट उद्योग
  2. काँच उद्योग
  3. नमक उद्योग
  4. मार्बल उद्योग
  5. ग्रेनाईट उद्योग
  6. अभ्रक उद्योग

सीमेंट उद्योग

- राजस्थान में सीमेंट उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख महत्व रखता है। सीमेंट उत्पादन क्षमता का बड़ा हिस्सा राजस्थान में है। सीमेंट उत्पादन में यह आंध्र प्रदेश के बाद देश में दूसरे स्थान पर है।
- राजस्थान में 55 मिलियन टन क्षमता वाली 24 प्रमुख सीमेंट फ़ैक्टरियाँ हैं। राजस्थान में पाली में एक बड़ा सीमेंट उत्पादन संयंत्र स्थापित है। राजस्थान सीमेंट उद्योग चूना पत्थर उत्पादन का भंडार है। राजस्थान में भारत का 17% चूना पत्थर पाया जाता है।
- श्री सीमेंट उद्योग की स्थापना 1985 में ब्यावर में की गई। यह भारत का सबसे बड़ा ड्राइव प्रोसेसेस वाला कारखाने है। इस कारखाने को 2005 व 2008 में दो बार गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ऊर्जा के संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया।

- जयपुर उद्योग लिमिटेड की स्थापना बाबरा (सवाई माधोपुर) में की गई। यह राजस्थान का दूसरा व उस समय एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाने था जिसे बंद कर दिया गया था तथा हाल ही में वापस शुरू कर दिया गया है।
- A.C.C. सीमेंट कंपनी की स्थापना लाखेरी गांव में क्लिक निकसन कंपनी द्वारा 1915 में स्थापित की गई। यह राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाने है।
- मंगलम सीमेंट कारखाने की स्थापना मोड़क (कोटा) में 1982 में बिड़ला ग्रुप द्वारा किया गया।
- श्रीराम सीमेंट कारखाने की स्थापना राम नगर (कोटा) में 1985 में की गई यह राजस्थान का सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाने है।
- राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले कारखाने ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड कोटपुतली है। इसकी स्थापना 2010 में की गई जो कि एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्टरी है।
- जे.के. सीमेंट कारखाने की स्थापना 1974 में निम्बाहेड़ा में की गई। यह राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाने है।
- चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स (चित्तौड़गढ़) की स्थापना 1987 में की गई यहाँ की चेतक छाप सीमेंट है।
- आदित्य सीमेंट लिमिटेड (चित्तौड़गढ़) की स्थापना 1995 में की गई।
- बिड़ला जूट कारखाने (चित्तौड़गढ़) की स्थापना 1995 में की गई यह राज्य का तीसरा सीमेंट का कारखाने है।
- फ्रांस की लाफार्ज सीमेंट विश्व में प्रथम कंपनी है जो चित्तौड़ के मावलिया (चित्तौड़गढ़) में सीमेंट संयंत्र की स्थापना कर रही है।
- जे.के. व्हाइट सीमेंट कारखाने की स्थापना मांगरौली (चित्तौड़गढ़) में की गई
- जे.के. सीमेंट कारखाने की स्थापना 1970 में डबोक (उदयपुर) में की गई।
- जे.के. लक्ष्मी सीमेंट कारखाने की स्थापना 1982 में पिंण्डवाड़ा (सिरोही) में किया गया।
- बिनानी सीमेंट लिमिटेड की स्थापना 1997 में पिंण्डवाड़ा (सिरोही) में की गई।
- डी.एल.एफ. बिनानी सीमेंट कारखाने की स्थापना 1996 में पोर्टलैंड देश की D.L.T. सीमेंट कंपनी द्वारा दयालपुरा व पाटन केरपुरा (पाली) में 410 करोड़ की लागत से सिमेंट संयंत्र की स्थापना की गई है।
- बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग की स्थापना खंगार (जोधपुर) में की गई यह राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाने है।
- जे.के. व्हाइट सीमेंट कारखाने की स्थापना गोटन 1984 में की गई यह राजस्थान का प्रथम संफेद सीमेंट का कारखाने है।

काँच उद्योग

- राजस्थान में एक और उद्योग लोकप्रिय है क्योंकि कांच पर मीनाकारी का काम किया जाता है, जो इसे राजस्थान में एक अनोखा माहौल देता है।
- कांच उद्योग में सिलिका सैंड को मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है। कांच उद्योग का राजस्थान में प्रमुख केंद्र धौलपुर है
- कच्चा माल:- सिलिका सैंड, सोडियम सल्फेट, शोरा (चीनी उद्योग से प्राप्त)
- राजस्थान में काँच उद्योग का सर्वाधिक विकास- धौलपुर
- **सेंट गोबेन ग्लास फ़ैक्ट्री:-** यह फ्रांस की कंपनियों द्वारा राजस्थान में कहरानी, भिवाड़ी में 2008 में स्थापित की गई है।
- घीलोट (नीमराना) में रीको द्वारा सिरेमिक ज़ोन बनाया जा रहा है।
- **धौलपुर ग्लास वर्क (धौलपुर):-** ये निजी क्षेत्र की कंपनी है।
- **दी हाई टेक्निकल प्रीसिजन ग्लास वर्क्स (धौलपुर):-** यह "दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड" की सहायक कंपनी है। जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है यह सार्वजनिक क्षेत्र की मील है।
- 2015 में सथाना मसूदा, अजमेर में सिरेमिक एवं कांच उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई।
- किशनगढ़ अजमेर में राजस्थान में प्रथम कांच से निर्मित (माइक्रोलाइट विमान) हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है।
- **सेमकार ग्लास इंडस्ट्रीज (कोटा):-** यहाँ सैमसंग टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है।

नमक उद्योग

- राजस्थान राजस्थान की खारे पानी की झील का घर है, जिसे सांभर झील कहा जाता है। झील में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि आसपास के क्षेत्रों में हर जगह नमक की उपस्थिति महसूस होती है। यह राज्य के नमक उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा है।
- राजस्थान देश का लगभग 12.10% नमक तैयार करता है। नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत में गुजरात, तमिलनाडु के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। जबकि झीलों से नमक उत्पादन में प्रथम स्थान है।
- **सांभर सॉल्ट लिमिटेड:-** इस कारखाने को केंद्र सरकार द्वारा 1964 में सांभर में स्थापित किया था। यहॉ देश का 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। यहाँ वायु प्रभाव द्वारा बनाए जाने वाला नमक रेशता नमक व वाष्पीकरण विधि से प्राप्त नमक क्यार नमक कहलाता है।
- **डीडवाना:-** यह सार्वजनिक क्षेत्र के सोडियम सल्फेट संयंत्र व राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड नामक दो कारखाने हैं। यहाँ का नमक खाने के अयोग्य है। जाब्दीनगर व कुचामन में नमक उत्पादन के निजी कारखाने हैं।
- फलोदी के निकट बाप क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है यहाँ निजी क्षेत्र का कारखाना है।
- **पचपदरा:-** यहाँ उत्पादित नमक समुद्री नमक से मिलता जुलता है यहाँ का नमक सबसे अच्छा है।

मार्बल उद्योग

- 1. राजस्थान इस उद्योग में देश में प्रथम माना जाता है।
  2. राजसमन्द से मार्बल सर्वाधिक उत्पादित होता है क्योंकि यहां मार्बल उत्पादन / प्रोसेसिंग इकाईयों सर्वाधिक है।

3. किशनगढ़ (अजमेर) मार्बल मंडी का सबसे बड़ा केन्द्र है।
4. राजस्थान का सफेद मार्बल (मकराना) विश्व प्रसिद्ध माना जाता है।

ग्रेनाईट उद्योग –

- 1. इस पत्थर का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, सिरोही क्षेत्र से होता है।
  2. जालोर को राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है।

अभ्रक उद्योग –

- 1. राजस्थान में अभ्रक ईंट बनाने का कारखाना – भीलवाड़ा
  2. भीलवाड़ा को अभ्रक / माईका सिटी भी कहा जाता है।

III. लघु उद्योग

- वर्ष 2006 में एस.पी. गुप्ता समिति की सिफारिश पर लघु उद्योगों को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम इकाइयों (MSME) में वर्गीकृत कर दिया गया।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग आधार मेमोरेण्डम (यू.ए.एम.):

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की उद्योग आधार ज्ञापन अधिसूचना अधिनियम, 2015 राजस्थान राज्य में लागू की गई है और ऑनलाइन पंजीयन 18 सितम्बर, 2015 से प्रारम्भ किया गया है। भारत सरकार के "यू.ए.एम. पोर्टल" पर एम.एस.एम.ई. द्वारा मेमोरेण्डम दाखिल किया जा सकता है।
- भारत सरकार द्वारा यू.ए.एम. पोर्टल के स्थान पर 1 जुलाई 2020 से "उद्यम रजिस्ट्रकरण पोर्टल' प्रारम्भ किया गया है।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग नीति – 2015

- राज्य सरकार द्वारा MSME को प्रोत्साहित करने हेतु MSME Policy 2015 लाई गई जिसके द्वारा MSME की परिभाषा में परिवर्तन किया गया और निवेश व टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत किया गया–

उद्योग	निवेश के आधार पर	टर्नओवर के आधार पर
सूक्ष्म	1 करोड़ रु. तक	0 - 5 करोड़ रु. तक
लघु	1 करोड़ से 10 करोड़ रु. तक	5 से 50 करोड़
मध्यम	10 करोड़ से 50 करोड़ तक	50 - 250 करोड़ रु. तक

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) :-

- इस योजना के तहत छोटे किसानों को 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 5 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान और 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उद्यमियों को उनके विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए स्केल करना।
- राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम 2019- राजस्थान सरकार ने 12 जून, 2019 को एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिस पर आवेदन दाखिल किए जाते हैं। एमएसएमई इकाई को नोडल एजेंसी एक 'पावती प्रमाणपत्र' जारी करती है, जिसके अनुसार एक एमएसएमई इकाई को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से 3 साल की छूट दी जाती है।

IV. कुटीर उद्योग

- कुटीर उद्योग से आशय एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन कार्य अर्थात् कुटीर उद्योग लगभग पूरी तरह घरेलू उद्योग होते हैं।
- इसमें उत्पादन कार्य मशीनों के बजाय हाथों से किए जाते हैं इसमें बाहरी श्रम का उपयोग नहीं होता।

V. ग्रामोद्योग

- दस हजार तक की आबादी वाले क्षेत्रों में कम पूँजी निवेश करके किए जाने वाले उत्पादन कार्य ग्रामोद्योग कहलाते हैं।

VI. हस्तशिल्प उद्योग

- राजस्थान के आर्थिक विकास में हस्तशिल्प अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यहाँ का हस्तशिल्प विश्वविद्यालय है
- **हस्तकला –** हाथों से बनाई गई वस्तुएँ, कलाकारी
- हस्तशिल्प उद्योग कुटीर व टाईनी उद्योगों की श्रेणी में आती है।
- क्षेत्र स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ राज्य को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा हस्तकला उद्योग से ही प्राप्त होती है।
- राजस्थान में हस्तकला को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए उदयपुर में शिल्प ग्राम तथा जोधपुर में पाल शिल्प ग्राम, जयपुर में जवाहर कला केन्द्र की स्थापना की गई।
- राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केन्द्र 'बोरनाडा' (जोधपुर) है।
- **वनोपज पर आधारित उद्योगों में बीड़ी उद्योग –** टोंक भीलवाड़ा, अजमेर ब्यावर
- **राज्य में ऊनी धागा –** बीकानेर, चुरू, लांडनूं व कोटा में संचालित ऊनी खादी – जैसलमेर, बरड़ी बीकानेर के ऊनी कम्बल

प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग

हस्तशिल्प	प्रसिद्ध स्थान
लाख पर हस्तशिल्प	उदयपुर, जयपुर, जोधपुर
हाथी दाँत	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
खेसला, टुकड़ी	बालोतरा, फालना
बंधेज साड़ियाँ	जोधपुर
चूनरिया व लहरिया	जयपुर
संगमरमर की मूर्तियाँ	जयपुर
लकड़ी के खिलौने	उदयपुर, सवाई माधोपुर
कठपुतलियाँ	उदयपुर
मिट्टी की मूर्तियाँ	मोलेला गांव राजसमंद
डोरिया व मसूरिया साड़ियाँ	कोटा
फड़ चित्रण	शाहपुरा- भीलवाड़ा
मीनाकारी	जयपुर
चमड़े की मोजड़ी एवं जूतियाँ	नागौर, सिरोही, भीनमाल, टोंक, जोधपुर व जयपुर
कृत्रिम रेशम	कोटा, उदयपुर, बाँसवाड़ा

हस्तशिल्प के लिए प्रयास

- हैंडीक्राफ्ट मेगा क्लस्टर, जोधपुर
- स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर हैण्डीक्राफ्ट, बोरानाडा जोधपुर

- निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, बोरानाडा (जोधपुर)
- एयर कार्गो कॉम्पलेक्स, जयपुर
- **इन्लैण्ड कंटेनर, डिपो –** सूखा बंदरगाह
- **हस्तशिल्पियों को निर्यात पुरस्कार –** निर्यातकों के प्रोत्साहन देना।

निर्यात

- नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार, राजस्थान ने देश में कुल 11 वीं रैंक हासिल करते हुए निर्यात तैयारी स्कोर 47.13 दर्ज किया।
- निर्यात प्रदर्शन स्तंभ में कुल 6 वीं रैंक हासिल करते हुए 40.23 स्कोर दर्ज किया है।
- राजस्थान में इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प और रासायनिक और संबद्ध शीर्ष पाँच निर्यात वस्तुएँ हैं।

राजस्थान में औद्योगिक नीतियाँ

- राजस्थान में अब तक पाँच बार औद्योगिक नीति बन चुकी है। जिसमें से चार नीतियाँ मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत के कार्यकाल में और नई नीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में 19 दिसम्बर, 2019 को जारी हुई
- **प्रथम औद्योगिक नीति -** प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून, 1978 को घोषित की गयी।
- इस नीति के अर्न्तगत रोजगारोन्मुख उद्योग यथाखादी-, ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई व असंतुलनों को दूर करने के प्रयास किए गए।
- **द्वितीय औद्योगिक नीति -** द्वितीय औद्योगिक नीति दिसम्बर, 1990 को घोषित व अप्रैल, 1991 से लागू की गयी।
- इस नीति के अर्न्तगत द्वितीय नीति में खनन, कृषिगत व अन्य साधनों के अधिकतम उपयोग, रोजगार संवर्द्धन तथा औद्योगिकीकरण के माध्यम से राज्य के वित्तीय साधन बढ़ाने पर जोर दिया गया।
- **तृतीय औद्योगिक नीति-** तृतीय औद्योगिक नीति 15 जून, 1994 को घोषित की गयी।
- इस नीति के अर्न्तगत राज्य का तीव्र गति से औद्योगिकीकरण का लक्ष्य रखा गया जिसमें मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया गया।
- **चतुर्थ औद्योगिक नीति -** चर्तुथ औद्योगिक नीति 4 जून, 1998 को घोषित की गयी।
- इस नीति का उद्देश्य राज्य को कुछ चुने हुए क्षेत्रों में विनियोग की दृष्टि से सर्वोच्च प्राथमिकता वाला राज्य बनाना था। इस हेतु समूहों के विकास की रणनीति अपनाई गई।
- **राजस्थान औद्योगिक नीति–2019 -** इसके लिए राज्य सरकार ने डा. के.के. पाठक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समीति बनाने की घोषणा 17 जनवरी, 2019 में की गई।
- यह 19 दिसम्बर, 2019 को घोषित की गई।

उद्देश्य:-

- 1. औद्योगिक आधारभूत अवसंरचना का विकास करना।
  2. राज्य का विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना।
  3. रोजगार प्रोत्साहन प्रदान करना।
  4. मानव संसाधन का विकास करना।
  5. औद्योगिक क्रांति 4.0 का विकास करना।

प्रावधान:-

- 1. MSME की गुणवत्ता में सुधार तथा शोध के माध्यम से प्रोत्साहन देना।
  2. रीको तथा निजी क्षेत्र की सहायता से PPP मॉडल पर औद्योगिक पार्क का निवास करना।
  3. स्टार्टअप हेतु नई स्टार्ट नीति का निर्माण करना।
  4. पिछड़े क्षेत्रों में कम दरों पर भूमि का आवंटन करना।
  5. SC, ST महिला कुटीर उद्योग, फुटकर व्यापारी व SHG उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना।
  6. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लचीला बनाना।
  7. पैट्रोकेमिकल रिफायनरी के आस-पास औद्योगिक टाउनशिप का निवास करना।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (2022)

- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 को और व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 को 7 अक्टूबर, 2022 से लागू किया गया है।
- योजना के मुख्य उद्देश्य 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना है। चिकित्सा उपकरण आदि, और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम –

- केन्द्र सरकार के उपक्रम।

1. सांभर साल्ट लिमिटेड

- जयपुर
- स्थापना – 1964 – जयपुर
- हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक इकाई के रूप में जयपुर में स्थापित जो सांभर झील से नमक उत्पादन का कार्य करती है।
- देश के कुल नमक का 8.7% उत्पादन सांभर झील से होता है।

2. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड

- उदयपुर
- स्थापना – 1966 – उदयपुर
- कार्य - जिंक शोधन
- एशिया का सबसे बड़ा जिंक शोधन कारखाना।
- वर्तमान में वेदान्ता रिसोर्सेज द्वारा उत्पादन।
- जिंक स्मेल्टर प्लांट – देबारी (उदयपुर) चंदेरिया (चित्तौड़गढ़)

3. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड

- खेतड़ी
- स्थापना – 1967 (संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से)
- यह खेतड़ी के आस-पास ताम्र अयस्क के खनन एवं परिशोधन का कार्य करता है।

4. हिंदुस्तान मशीन टूल्स
- (HMT) - अजमेर
- स्थापना – 1967 में अजमेर इकाई को प्रारंभ।
- HMT की स्थापना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गयी।
- HMT द्वारा मशीनी उपकरण तैयार करने का कार्य किया जाता है।

5. इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
- कोटा
- स्थापना – 1964 (रूस की सहायता से स्थापित)
- वर्तमान में यह इकाई बन्द है पर इसकी अन्य सहायक इकाई राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स व इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (REIL) है।
- REIL की स्थापना जयपुर में 1981 में की गई यह विद्युत उपकरण बनाने का कार्य करती है।

6. राजस्थान पेट्रो केमिकल रिफाइनरी
- पचपदरा, बाड़मेर में 16 जनवरी 2018 को HPCL और राजस्थान सरकार की 74:26 की भागीदारी से रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया।
- 2022 तक रिफाइनरी प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।
- BS VI गुणवत्ता मानक द्वारा ईंधन उत्पादन करने वाली देश की प्रथम रिफाइनरी है।

7. मार्डन बेकरीज
- जयपुर
- स्थापना – 1965 (वर्तमान में इकाई बंद।)

8. राजस्थान फार्मास्यूटिकल लिमिटेड
- स्थापना – 1978, जयपुर (वर्तमान में इकाई बंद)

औद्योगिक पार्क
- **जापानी पार्क –** 1 - नीमराना औद्योगिक क्षेत्र (अलवर) में जापानी कम्पनी जेट्रो के साथ मिलकर रीको द्वारा 2006 में जापानी जोन विकसित किया गया।
- **जापानी पार्क –** 2 - घिलोट – अलवर में दूसरा जापानी पार्क जेट्रो की सहायता से ही स्थापित किया गया है।
- **कोरियन पार्क –** रीको तथा कोरियन कम्पनी (कोट्रा) के साथ मिलकर घिलोट (अलवर) में ही कोरियन पार्क विकसित किया गया।

मेगा फूड पार्क - रूपनगढ, किशनगढ़ (अजमेर)
- साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क - सीतापुरा – जयपुर

निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क (EPIP)
- 1. सीतापुरा – जयपुर 2. बोरानाडा – जोधपुर 3. नीमराणा - अलवर

स्टोन पार्क
- 1. मंडोर – जोधपुर 2. मंडाना – कोटा 3. सिकन्दरा – दौसा 4. विशनौदा – धौलपुर 5. मासलपुर – करौली

वस्त्र पार्क
- 1. भीलवाड़ा – इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क
  2. अलवर – इंटीग्रेटेड अपेरल सिटी
  3. दौसा – कारपेट पार्क
  4. सिलोरा – किशनगढ़

सूचना प्रौद्योगिकी पार्क
- 1. जयपुर 2. जोधपुर 3. उदयपुर 4. कोटा

चर्म पार्क
- 1. मानपुरा माचेड़ी – (जयपुर) 2. सीतापुरा – जयपुर 3. भिवाड़ी – अलवर

एग्रोफूड पार्क
- 1. गंगानगर 2. जोधपुर 3. कोटा 4. अलवर

औद्योगिक वित्तीय संगठन

राजस्थान औद्योगिक विनियोग विकास निगम (RIICO)
- 28 मार्च, 1969 में राजस्थान उद्योग तथा खनिज निगम (RSIMDC) की स्थापना हुई जिसके बाद में खनिज तथा उद्योगों दोनों के लिये पृथक् निगम बना दिये गए।
- 1979 में राजस्थान खनिज विकास निगम तथा 1 जनवरी, 1980 में रीको की स्थापना की गई। रीको राजस्थान में उद्योगों के लिए सबसे बड़ी संस्था है।

कार्य –
- 1. रीको द्वारा सीतापुरा जयपुर में जेम्स एण्ड ज्वैलरी के दो SEZ संचालित किये जा रहे हैं।
  2. जापानी संस्था-जेट्रो के साथ मिलकर दो जापानी पार्क नीमराना और घिलोट (अलवर) में संचालित।
  3. कोरियाई कम्पनी-कोट्रा के साथ मिलकर कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन घिलोट (अलवर) में संचालित।
  4. **चार एग्रोफूड पार्क का निर्माण रीको द्वारा –** श्रीगंगानगर, कोटा, जोधपुर, अलवर

राजस्थान वित्त निगम (R.F.C)
- इसकी स्थापना 17 जनवरी, 1955 को 'राजस्थान वित्त निगम अधिनियम 1951' के तहत 100 करोड़ की अंश पूँजी से की गई।
- **कार्य -** अति लघु, लघु तथा मध्यम इकाइयों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना।
- यह अधिकतम 20 करोड़ तक के ऋण की सुविधा तथा उद्योगों का नवीनीकरण तथा विस्तार हेतु सुविधा उपलब्ध करवाना।

RFC द्वारा संचालित योजनाएँ

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (2013-14)
- राज्य के युवा उद्यमियों को अपना उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान वित्त निगम द्वारा 19 अप्रैल, 2013 से यह योजना लागू की गई थी। जिसके तहत युवाओं को स्वरोजगार हेतु 25 लाख से 5 करोड़ तक की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।

महिला उद्यम निधि-योजना
- महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 10 लाख रुपये तक ऋण सुविधा तथा लोन भुगतान अवधि 5 से 10 वर्ष तक है।

सेमफेम्स योजना
- भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु।

टॉप अप योजना
- M.S.M.E हेतु ऋण सुविधा

फ्लेक्सी योजना
- आसान ऋण सुविधा

टेक्नोक्रेट योजना
- तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा

शिल्पबाड़ी
- दस्तकारों व शिल्पकारों हेतु

राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम (RAJSICO)
- इसकी स्थापना 3 जून, 1961
- कार्य - लघु औद्योगिक इकाइयाँ को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा सस्ती दरों पर कच्चा माल व विपणन सुविधा उपलब्ध करवाना।
- प्रथम एयर कार्गो – सांगानेर (जयपुर)
- राजसीको द्वारा शुष्क बंदरगाह **(I.C.D)** का संचालन किया जाता है - जयपुर (मानसरोवर), जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर, बीकानेर

राजसीको द्वारा प्रशिक्षण केंद्र –
- 1. फड़ चित्रण – भीलवाड़ा 2. कोटा बूँदी चित्रकला – कोटा
  3. मारवाड़ चित्रकला – जोधपुर 4. मुनव्वती कला – बीकानेर

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (RUDA)
- इसकी स्थापना – नवम्बर, 1995 को की गई।
- **उद्देश्य-** राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आजीविका के साधनों का विकास करना व स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
- **कार्य -** यह खादी, ग्रामोद्योग, चर्म उद्योग, सिरेमिक, पॉटरी, हस्तकला आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है।
- ग्रामीण दस्तकारों को प्रशिक्षण देना, संगठित करना तथा ग्रामीण हस्तशिल्प तकनीकी का विकास करना।

RUDA के नवाचार/योजनाएँ -

भौगोलिक संकेतक (G.I) पंजीकरण
- रूडा द्वारा भारत सरकार के सहयोग से भौगोलिक संकेतक (G.I.) के पंजीकरण की कार्यवाही क्रियान्वित की जा रही है।
- रूडा प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों के अंतर्गत अपनी गतिविधियाँ संचालित करता है- चमड़ा उद्योग, ऊन व वस्त्र, लघु खनिज
- **हस्तकला प्रोत्साहन योजना** – तालछापर (चूरू)
- **कोटा डोरिया प्रशिक्षण केंद्र** – कोटा
- **चर्म क्लस्टर** – रेनवाल (जयपुर)
- **निवेश संवर्द्धन ब्यूरो (BIP)** - निवेश संवर्द्धन ब्यूरो राजस्थान की निवेश संवर्द्धन एजेंसी है, जो राज्य में निवेश प्रस्तावों की स्थापना हेतु सुविधा प्रदान करती है।
- बी.आई.पी. सक्रिय रूप से विभिन्न वर्गों में उपलब्ध निवेश अवसरों की ओर घरेलू एवं विदेशी कंपनियों के संभावित निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है और राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करता है।

औद्योगिक के लिए प्रमुख प्रयास –

राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात 'एक्सपो' –
- राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात 'एक्सपो' का अयोजन जोधपुर में किया गया।

I-Start पोर्टल -
- ऑनलाइन पार्टल, जिसमें पंजीकरण करवाने से से स्टार्ट-अप को निवेशकों की जानकारी प्राप्त होती है।

राज संपर्क -
- किसी भी समस्या के निवारण हेतु यह एक ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र है।
- इसका हेल्प लाइन नंबर 181 है।

रिसर्जेन्ट राजस्थान –
- नवंबर, 2015 में उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु रिसर्जेन्ट राजस्थान नाम से एक सेमीनार जयपुर में आयोजित की गई, जहाँ सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्र में प्राप्त हुए।

DMIC – दिल्ली मुम्बई इन्डस्ट्रीयल कॉरिडोर
- भारत सरकार द्वारा **जापान** के सहयोग से यह कॉरिडोर बनाने हेतु 2006 में समझौता हुआ।
- यह कॉरिडोर दादरी (उत्तर प्रदेश) से मुंबई के जवाहर लाल नेहरू पोर्ट तक के 1483 किलोमीटर की लम्बाई को कवर करेगा। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर होगी- जिसका लगभग 39% भाग राजस्थान से होकर गुजरेगा।
- इस कॉरिडोर के अंतर्गत सात राज्य सम्मिलित होंगे जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक जाएगा।
- DMIC के 22 नोड में से 5 नोड (7 से 11) राजस्थान से गुजरेंगे जिसमें से (2) निवेश जोन और (3) औद्योगिक जोन शामिल होंगे-
- निवेश जोन – नीमराना भिवाड़ी खुशखेड़ा व अजमेर – किशनगढ़
- औद्योगिक जोन - जयपुर – दौसा, भीलवाड़ा – राजसमंद, जोधपुर पाली – मारवाड़
- DMIC के प्रथम चरण में खुशखेड़ा – भिवाड़ी नीमराना क्षेत्र तथा जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
- **खुशखेड़ा – भिवाड़ी – नीमराना निवेश क्षेत्र -** इस क्षेत्र के 165 वर्ग किमी क्षेत्र अलवर जिले के 42 गाँव सम्मिलित है जिनका विकास करने हेतु ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना भिवाड़ी में तथा कुछ भाग में नॉलेज सिटी स्थापित की जाएगी।
- **जोधपुर – पाली – मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र -** जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को दूसरे नोड के रूप में विकसित करने हेतु चयनित अर्लीबर्ड परियोजनाएँ निम्न प्रकार से हैं।

♦♦♦♦

मुश्किल परीक्षाएं भी आसान लगेगी

जब करेंगे लक्ष्य एप के संग तैयारी

मौका है, अपनी तैयारी को सिलेक्शन वाली तैयारी बनाने का

LIVE FROM CLASSROOM

ONLINE/OFFLINE COURSE

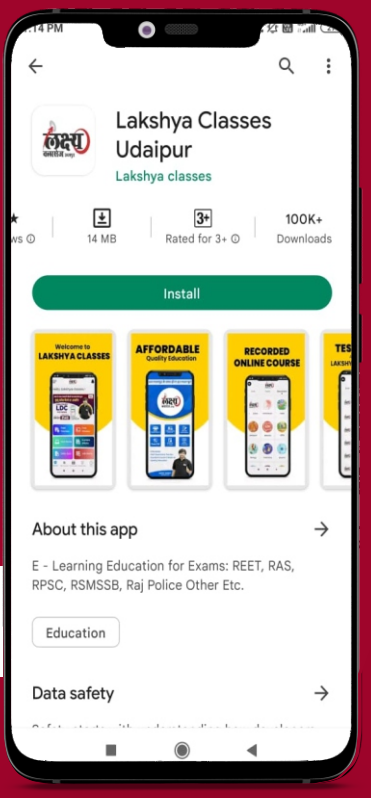

- Test Series
- Recorded Courses
- Downloadable Classes
- Free Quizzes
- Video & Audio Lecture
- Previous Year Paper
- Free Current Affair
- Doubt Solving Session

स्कूल I Grade व्याख्याता Ist Paper/2nd Paper	SI दोनों प्रश्न पत्रों की सम्पूर्ण तैयारी	BSTC PTET	संगणक	पशु परिचर	FORESTER
RAS Pre	शिक्षक मुख्य परीक्षा	II Grade शिक्षक Ist Paper/2nd Paper	CONSTABLE	BANKING ASSISTANT	
REET LEVEL पात्रता परीक्षा I & II	LAB ASSISTANT	पटवार	LDC	CET 2024	WOMAN SUPERVISOR

Scan to Download Lakshya App Now

Google play

INSTAGRAM FACEBOOK YOUTUBE TELEGRAM

सफलता के पथ पर सबसे तेज उभरता हुआ संस्थान

लक्ष्य क्लासेज™

Sector - 4, Main Road, Udaipur (Raj.)

M. 6376957258, 6376491126